30

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

(2021-2022)

सत्रहवीं लोक सभा

कोयला मंत्रालय

अनुदानों की मांगें

(2022-23)

तीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022/ चैत्र,1944(शक)

तीसवां प्रतिवेदन

कोयला, खान और इस्पात संबंधी
स्थायी समिति
(2021-2022)

सत्रहवीं लोक सभा

कोयला मंत्रालय

अनुदानों की मांगें

(2022-23)

22.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया
22.03.2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2022/ चैत्र,1944(शक)

विषय सूची

पृष्ठ

समिति की संरचना.................. 1

प्राक्कथन.......................... 3

भाग-एक

अध्याय एक प्रस्तावना.. 4

अध्याय दो अनुदानों की मांगों का विश्लेषण................................. 13

अध्याय तीन केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का क्रियान्वयन...................... 22

1. अनुसंधान और विकास 28
2. कोयला और लिग्नाइट में संवर्धनात्मक (क्षेत्रीय) अन्वेषण 32
3. गैर-कोल इंडिया लिमिटेड ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग 35
4. कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा 38
5. कोल फील्ड्स क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास 42
6. पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण (ईएमएससी) 44

अध्याय चार सरकारी क्षेत्र के कोयला उपक्रमों का वास्तविक और वित्तीय कार्यनिष्पादन 46

क वास्तविक कार्यनिष्पादन 46

ख वित्तीय कार्य निष्पादन 50

ग 2022-23 के दौरान केपेक्स 52

घ बकाया देय 55

ड़ कोयले की चोरी 58

च कोयला ब्लॉकों का आबँटन 59

छ शुरूआती सम्पर्क 62

ज कोयले का आयात 64

झ. कार्बन फुटप्रिंट कम करना 67

भाग-दो

समिति की
टिप्पणियां/सिफारिशें.. 70

अनुबंध

एक. विभिन्न कोयला उत्पादक राज्यों में खनन प्रहरी मोबाइल एप के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की स्थिति 87

दो. सहायक कंपनियों से यथाप्राप्त विभिन्न आईटी पहलों के संबंध में प्रतिवेदन 88

तीन. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की 23.02.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश 91

चार. कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की 21.03.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश (संलग्न नहीं है।) 94

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्री राकेश सिंह - सभापति

लोक सभा

2. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायणधानोरकर
3. श्री विजय कुमार हांसदाक
4. श्री कुनार हेम्ब्रम
5. श्री सी. पी. जोशी
6. श्री सौमित्र खान
7. श्री सी. लालरोसांगा
8. श्री एस. मुनिस्वामी
9. श्री अजय निषाद
10. श्री बसंत कुमार पांडा
11. श्रीमती रीती पाठक
12. श्री एस.आर.पार्थिबन
13. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी
14. श्री चुन्नी लाल साहु
15. श्री अरुण साव
16. श्री पशुपति नाथ सिंह
17. श्री सुनील कुमार सिंह
18. श्री सुशील कुमार सिंह
19. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती
20. डॉ.तिरुमावलवनथोल
21. श्री अशोक कुमार यादव#

राज्य सभा

22. श्री सुब्रत बक्शी
23. डॉ. विकास महात्मे
24. डॉ. प्रशांत नन्दा
25. श्री राम विचार नेताम
26. श्री समीर उरांव
27. श्री दीपक प्रकाश
28. श्री धीरज प्रसाद साहू
29. श्री शिबू सोरेन
30. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी
31. श्री बी. लिंगैय्या यादव

सचिवालय

1. श्रीमती अनीता बी. पांडा	-	संयुक्त सचिव
2. श्री अरविंद शर्मा	-	निदेशक
3. श्री उत्तम चन्द भारद्वाज	-	अपर निदेशक
4. श्री यशपाल शर्मा	-	अवर सचिव

डॉ.लोरहो एस. फ़ोज के स्थान पर दिनांक *07.02.2022* से समिति के लिए नामनिर्दिष्ट

प्राक्कथन

मैं, कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर, कोयला मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगें (2022-23)' विषयक समिति का यह तीसवां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. कोयला मंत्रालय की अनुदानों की मांगें 10.02.2022 को सभापटल पर रखी गयीं थीं। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 331ङ के अंतर्गत कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति को समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर विचार करना होता है और उन पर संसद की दोनों सभाओं में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने होते हैं ।

3. समिति ने 23.02.2022 को हुई अपनी बैठक में कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया ।

4. समिति ने 21.03.2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति, समिति के समक्ष अपने लिखित उत्तर प्रस्तुत करने में सहयोग देने और सुविचारित मत तथा अवधारणा प्रस्तुत करने हेतु कोयला मंत्रालय के अधिकारियों का आभार व्यक्त करती है।

6. समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए उनकी सराहना करती है।

7. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

नई दिल्ली;
21 मार्च, 2022
30 फाल्गुन, 1943 (शक)

राकेश सिंह
सभापति,
कोयला, खान और इस्पात संबंधी
स्थायी समिति

प्रतिवेदन

भाग – एक

अध्याय – एक

प्रस्तावना

कोयला मंत्रालय के पास कोयला और लिग्नाइट भंडार की खोज और विकास के संबंध में नीतियों और रणनीतियों को निर्धारित करने, उच्च मूल्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी देने और सभी संबंधित मामलों में निर्णय लेने की समग्र जिम्मेदारी है। इन प्रमुख कार्यों को इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अर्थात् कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के माध्यम से किया जाता है, जो कि तेलंगाना सरकार और भारत सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है, जिसमें इक्विटी पूंजी का अनुपात 51:49 है।

1.2 ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए त्वरित कोयला उत्पादन को सक्षम बना कर आधुनिक, सतत और प्रतिस्पर्धी कोयला क्षेत्र के अपने विजन को पूरा करने के लिए कोयला मंत्रालय के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- "कोयला उत्पादन और उठाव, ओवर बर्डन रिमूवल (ओबीआर), लिग्नाइट उत्पादन और लिग्नाइट आधारित विद्युत् उत्पादन के लिए वार्षिक कार्य योजना लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करना।
- कोयले और धुले हुए कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरी लाने हेतु अवसंरचना का विकास।

- पर्यावरणीय कठिनाइयों को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
- अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास पहल।
- संसाधन आधार में वृद्धि करने हेतु अन्वेषण में वृद्धि ।
- ग्राहक सेवाओं में गुणवत्ता और विश्वसनीयता।
- अंतर-मंत्रालयी मुद्दों का त्वरित और संयुक्त समाधान।
- कोल इंडिया लिमिटेड की क्षमता में सुधार।
- निजी निवेश आकर्षित करना।
- पारदर्शी तरीके से कोयला ब्लॉकों का आवंटन।"

1.3 समिति को बताया गया है कि कोयला मंत्रालय भारत में कोयले और लिग्नाइट भंडार के अन्वेषण, विकास और दोहन से संबंधित है। समय-समय पर यथासंशोधित भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियमावली, 1961 के तहत कोयला मंत्रालय को आवंटित विषय (अधीनस्थ या उनके विषयों से संबंधित सार्वजनिक उपक्रमों सहित अन्य संगठन शामिल हैं) निम्नानुसार हैं:

- भारत में कोकिंग और नॉन-कोकिंग कोयला और लिग्नाइट भंडारों का अन्वेषण और विकास।
- कोयले के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और मूल्यों से संबंधित सभी मामले।
- ऐसे कोयला वाशरीज को छोड़कर जिनके लिए इस्पात विभाग जिम्मेदार है, कोयला वाशरीज का विकास और प्रचालन।

- कोयले का निम्नतापीय कार्बनीकरण और कोयले से संश्लिष्ट तेल का उत्पादन।
- कोयला गैसीकरण से संबंधित सभी कार्य।
- कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन।
- कोयला खान भविष्य निधि संगठन।
- कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन।
- कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1947 (1947 का 32) का प्रशासन ।
- खानों से उत्पादित और भेजे गए कोक और कोयले पर उत्पाद शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण और बचाव निधि के प्रशासन के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अंतर्गत नियमावली।
- कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन ।
- खान और खनिज प्रशासन (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) और अन्य संघीय कानूनों का प्रशासन, जहां तक उक्त अधिनियम और कानूनों का संबंध कोयला और लिग्नाइट तथा रेतभराई और ऐसे प्रशासन से संबंधित कार्य, जिनमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न सम्मिलित हैं।

1.4 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई), मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल), भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई), एससीसीएल और अन्य

द्वारा अनुमानित संसाधनों के आधार पर तैयार भारतीय कोयले के भूवैज्ञानिक संसाधनों की इन्वेंटरी दिनांक 1.4.2021 की स्थिति के अनुसार और 1200 मीटर की गहराई तक 352.12 बीटी हैं। संसाधन मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में पाए गए हैं। देश में लिग्नाइट का भंडार लगभग 46.02 बीटी (01.04.2021 की स्थिति के अनुसार) होने का अनुमान है।

1.5 पिछले कुछ वर्षों में कोयले की कुल खपत में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2016-17 में कोयले की खपत/वास्तविक आपूर्ति (आयात सहित) 836.93 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 955.71 मिलियन टन हो गई। वर्ष 2021-22 के लिए कोयले की मांग 918.00 मिलियन टन (एमटी) होने का अनुमान लगाया गया था, जिसमें से वास्तविक स्वदेशी उपलब्धता केवल 519.34 मिलियन टन थी।

1.6 सीआईएल ने वित्त वर्ष 2023-2024 तक 1 बिलियन टन (1000 मीट्रिक टन) कोयले का उत्पादन करने की महत्वाकांक्षी योजना की परिकल्पना की थी। सहायक कंपनियों द्वारा सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन कार्यक्रम की कल्पना की गई थी, जो उनके उत्पादन अनुमानों को अधिकतम करने के लिए संबंधित सक्षम स्थितियों यथा हरित मंजूरी, भूमि, आर एंड आर और अन्य आवश्यक विकास गतिविधियों को दर्शाता है।

क. सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां

एक. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

1.7 मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन से समिति नोट करती है कि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), कोयला मंत्रालय के अधीन एक 'महारत्न' कंपनी है, जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। सीआईएल विश्व की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है और सबसे बड़े कॉर्पोरेट नियोक्ताओं में से एक है। सीआईएल भारत के 8 राज्यों में फैले 85 खनन क्षेत्रों में अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से प्रचालन करता है। इसके पास 345 खानें हैं, जिनमें से 151 भूमिगत, 172 खुले मुहाने वाली और 22 मिश्रित खानें हैं। इसके पास 26 प्रशिक्षण संस्थान हैं। भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) सीआईएल के नियंत्रणाधीन एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र है और कार्यपालकों को बहु-आयामी प्रबंधन विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान करती है। कोल इंडिया के प्रमुख उपभोक्ता विद्युत् और इस्पात क्षेत्र हैं। अन्य में सीमेंट, उर्वरक, ईंट भट्टे और कई अन्य उद्योग शामिल हैं।

1.8 सीआईएल की आठ पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं नामशः ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल); भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल); सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल); वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल); साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल); नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल); महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल); और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)। इसके अलावा, सीआईएल की मोज़ाम्बिक में कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा (सीआईएएल) नामक एक विदेशी सहायक कंपनी है।

दो. सिंगरेनी कोलयरिज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

1.9 सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) तेलंगाना सरकार और भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें क्रमशः 51:49 के अनुपात में उनकी इक्विटी भागीदारी है। एससीसीएल कुल अखिल भारत उत्पादन का लगभग 9% उत्पादन करती है। इसका पंजीकृत कार्यालय तेलंगाना के भद्राधरी जिले के कोठागुडेम में है। एससीसीएल वर्तमान में तेलंगाना के छह जिलों में 43068 (30.11.2021 की स्थिति के अनुसार) की जनशक्ति के साथ 19 खुली मुहाने वाली खानें और 25 भूमिगत खानें प्रचालित कर रही है।

तीन. एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल)

1.10 एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एक "नवरत्न" कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में और कारपोरेट कार्यालय तमिलनाडु के नेयवेली में है, जो ऊर्जा क्षेत्र में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अग्रणी है। एनएलसीआईएल ने तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, अंडमान राज्यों में अपनी मौजूदा खानों और बिजली संयंत्रों के विस्तार/संवर्धन, ग्रीन-फील्ड खानों और बिजली संयंत्रों की स्थापना, पूरे भारत में छाप छोड़ते हुए संपूर्ण देश में पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना सहित कई परियोजनाएं तैयार की हैं और अपनी मौजूदगी बढ़ाई है। एनएलसीआईएल, थर्मल पावर और हरित ऊर्जा और थर्मल का उपयोग करते हुए लिग्नाइट और कोयले का उपयोग करने वाली ऊर्जा क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी है।

ख. <u>अधीनस्थ कार्यालय और स्वायत्त संगठन</u>

1.11 कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) का कार्यालय - एक अधीनस्थ कार्यालय और कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) - एक स्वायत्त निकाय, कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं।

एक. <u>कोयला नियंत्रक संगठन</u>

1.12 कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, और क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद, रांची, बिलासपुर, नागपुर, संबलपुर, कोठागुडेम और आसनसोल में हैं।

1.13 कोयला नियंत्रक संगठन निम्नलिखित विभिन्न संविधियों से उत्पन्न विभिन्न सांविधिक कार्य करता है:

(एक) कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004।

(दो) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 और कोयला खान (संरक्षण और विकास) नियम, 1975 (2011 में संशोधित)

(तीन) सांख्यिकी एकत्रीकरण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी एकत्रीकरण (केंद्रीय) नियम, 2011।

(चार) कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20)।

1.14 कोयला नियंत्रक संगठन निम्नलिखित कार्य भी करता है:-

क. कैप्टिव कोयला ब्लॉकों (निधानित और आवंटित) के कोयला उत्पादन की निगरानी का कार्य

ख. वाशरियों की निगरानी का कार्य

ग. खान बंद करने संबंधी योजनाओं की प्रस्तुति पर अनुवर्ती कार्रवाई करना और विभिन्न कोयला/लिग्नाइट कंपनियों के साथ एस्क्रो लेखा करार पर हस्ताक्षर करने हेतु भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना।

घ. भुगतान आयुक्त (सीओपी) से संबंधित मामले;

दो. <u>कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ)</u>

1.15 कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ), कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, और कोयला खान भविष्य निधि योजना, 1948, कोयला खान जमा लिंक्ड बीमा योजना, 1976, और कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इन तीन योजनाओं का प्रशासन त्रिपक्षीय न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधि, नियोक्ता के प्रतिनिधि और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। संगठन 30.09.2021 की स्थिति के अनुसार 3,72,046 भविष्य निधि ग्राहकों और लगभग 5,66,430 पेंशनभोगियों को सेवाएं देता है। सीएमपीएफओ का मुख्यालय धनबाद में है और इसके 20 क्षेत्रीय कार्यालय देश के कोयला उत्पादक राज्यों में स्थित हैं।

1.16 कोयला मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों (2022-23) को दिनांक 10.02.2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और इसे मांग संख्या 9 में दिया

गया है। कोयला मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों का विश्लेषण करते हुए समिति ने वर्तमान प्रतिवेदन में अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले मंत्रालय और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की जांच की है। विभिन्न मुद्दों पर समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों के साथ विस्तृत विश्लेषण प्रतिवेदन के अगले अध्यायों में दिया गया है।

अध्याय – दो

अनुदानों की मांगों का विश्लेषण

क. अनुदानों की मांगों (2022-23) का सारांश

कोयला मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2022-23) में सकल बजटीय सहायता के रूप में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, स्थापना और अन्य केंद्रीय क्षेत्र के व्यय के लिए 393.24 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी में से, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 314.54 करोड़ रुपये, सचिवालय, कोयला नियंत्रक संगठन, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और कोयला खान पेंशन योजना (सीएमपीएफओ) की स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए 78.70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

2.2 वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं, स्थापना और अन्य केंद्रीय क्षेत्र के व्यय हेतु निर्धारित आवंटनों से संबंधित विवरण निम्नवत हैं:-

(करोड़ रुपये में)

	राजस्व		आबंटन
क	**केन्द्रीय क्षेत्र की योजना**		
1	अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम		10.00
2	कोयला खानों में	कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा	4.00

	संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास	कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास	50.04
		पर्यावरणीय उपाय तथा धंसाव नियंत्रण	0.50
3	कोयला एवं लिग्नाइट का अन्वेषण	क्षेत्रीय अन्वेषण	75.00
		विस्तृत ड्रिलिंग	175.00
		कुल	**314.54**

ख. स्थापना और अन्य केन्द्रीय क्षेत्र व्यय

1	सचिवालय विशिष्ट (कोयला मंत्रालय)	39.09
2	कोयला खान पेंशन योजना (सीएमपीएफओ)	12.96
3	कोयला नियंत्रक संगठन	10.92
4	नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी	15.73
	कुल	**78.70**
	सकल योग (राजस्व)	**393.24**

2.3 समिति ने यह पाया कि 314.54 करोड़ रुपये के केन्द्रीय क्षेत्र के योजना घटक में अनुसंधान और विकास, क्षेत्रीय अन्वेषण, विस्तृत ड्रिलिंग और पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 31.45 करोड़ रुपये का अनिवार्य प्रावधान सम्मिलित है।

2.4 वर्ष 2022-23 के दौरान, मंत्रालय की केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं से संबंधित वास्तविक लक्ष्यों और वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में पूछे जाने पर, कोयला मंत्रालय ने समिति को निम्नवत बताया:

योजना	वास्तविक लक्ष्य और वित्तीय आवश्यकता का स्पष्टीकरण	ब.अ. 2022-23	
		अनुमानित	अनुमोदित ब.अ.
विस्तृत अन्वेषण*	वर्ष 2021-22 में ड्रिलिंग के लिए वार्षिक योजना (ब.अ.) 1.90 लाख मीटर और वर्ष 2022-23 के लिए 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण सहित 1.60 लाख मीटर है, जिसके लिए अनुमानित परिव्यय की आवश्यकता होती है।	895	175
संवर्धनात्मक ड्रिलिंग	वर्ष 2021-22 में संवर्धनात्मक ड्रिलिंग के लिए वार्षिक योजना 1.50 लाख मीटर और वर्ष 2022-23 के लिए 0.40 लाख मीटर (संबंधित अनुपूरक अध्ययनों/सीबीएम परियोजनाओं सहित) है, जिसके लिए अनुमानित परिव्यय की आवश्यकता होती है।	176	75
पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण	झारखंड सरकार प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु एक संशोधित मंत्रिमंडलीय नोट तैयार कर रही है। इसके अतिरिक्त, स्मार्ट सिटी कांसेप्ट पर पुनर्वास स्थल का निर्माण करने की योजना बनाई गई है। संशोधित मंत्रिमंडलीय नोट के अनुमोदन के बाद निधि की आवश्यकता होगी।	0.50	0.50
कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा	कोयला खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत संवर्धित कोयला उत्पादन और धंसाव नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए आंशिक रूप से (रेत भराई/ बचाव कार्यों/विकास संबंधी वैज्ञानिक कार्यों) प्रतिपूर्ति करना।	20	4
कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास	निष्कर्षण अवसंरचना कार्यक्रम के अनुसार, लगभग 41932 करोड़ रू/- राशि की परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। उसके अलावा, सीएमपीडीआईएल ने 4 रेल	72	50.04

	परियोजनाओं को चिह्नित किया है जो आगामी कोयला ब्लॉकों से कोयले के निष्कर्षण के लिए महत्वपूर्ण होगी। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु लगभग 50,000 करोड़ रु./- की आवश्यकता होगी। कोलफील्ड क्षेत्रों में कोयला निष्कर्षण अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन राशि या व्यवहार्य अंतर निधि के रूप में, निधि की आवश्यकता होगी। इसलिए, कोयला निष्कर्षण हेतु परिवहन अवसंरचना के विकास के लिए अपेक्षित कुल 10% निधि अर्थात 5000 करोड़ रु./- (आगामी पांच वर्षों के लिए प्रति वर्ष 1000 करोड़ रु./-) शामिल करने का निर्णय लिया गया है ताकि निर्धारित समय-सीमा में निष्कर्षण परियोजना के कार्यान्वित होने को सुनिश्चित किया जा सके।		
अनुसंधान और विकास	कोयला मंत्रालय ने स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों और कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए नए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को चिह्नित किया है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए संधारणीय विकास प्रकोष्ठ का भी गठन किया गया है।	20	10
कुल		**1183.50**	**314.54**

*मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2025-26 तक अन्वेषण के लिए निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 3362 करोड़ रुपये की निधि की आवश्यकता संबंधी एक मंत्रिमंडल टिप्पण को अंतरमंत्रालयी परामर्श के लिए परिचालित किया गया है।

विगत तीन वर्षों के लिए अनुदानों की मांगों (योजना) का विश्लेषण

2.5 वर्ष 2022-23 के लिए कोयला मंत्रालय की योजनाओं, परियोजनाओं / कार्यक्रमों के लिए किए गए आवंटनों का पिछले वर्षों के आवंटनों के संबंध में निम्नवत विश्लेषण किया गया है:-

सकल बजटीय सहायता के साथ कार्यान्वित की जा रही केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/कार्यक्रम

बजट अनुमान

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना	ब.अ. (वास्तविक) 2019-20	ब .अ. (वास्तविक) 2020-21	ब.अ. 2021-22	सं.अ. 2021-22	ब.अ. 2022-23
(एक)	अनुसंधान और विकास	25(18.78)	25(9.97)	18	11.50	10
	पिछले वर्ष के वास्तविक/ ब.अ. की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	-	0(-45.45)	-28	-36.11	-13.04
(दो)	पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण (ईएमएससी)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	पिछले वर्ष के वास्तविक/ब.अ. की	-	-	-	-	-

	तुलना में प्रतिशत वृद्धि					
(तीन)	कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा	4(3.60)	10(5.72)	6	4.50	4
	पिछले वर्ष के वास्तविक/ब.अ. की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	-	150(50)	-40	-25	-11.11
(चार)	परिवहन अवसंरचना का विकास	130.50(80.99)	84.48 (45.21)	65.48	65.48	50.04
	पिछले वर्ष के वास्तविक/ब.अ. की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	-	-35.26 (-44.19)	-22.49	-	-23.58
(पांच)	क्षेत्रीय अन्वेषण	120(72.585)	70(92)	130	120	75
	पिछले वर्ष की तुलना में वास्तविक/ब.अ. में प्रतिशत वृद्धि	-	-41.67 (11.11)	85.71	-7.69	-37.50%
(छह)	गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग	817(586.88))	630(351.39)	200	350.05	175

	पिछले वर्ष के वास्तविक/ब.अ.की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	-	-22.89(-42.12)	-68.25	75.02	-50

टिप्पण:

1. कोयला उपकर को जीएसटी में शामिल करने के कारण, भूमिगत खानों में रेत भराई के लिए प्रतिपूर्ति को समाप्त कर दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप संरक्षण और सुरक्षा शीर्ष के तहत निधि के प्रावधान में कमी आई है।
2. कोयला और लिग्नाइट के अन्वेषण हेतु निधियों में वृद्धि के लिए प्रावधान हेतु मंत्रिमंडल नोट परिचालित किया गया है। बजट बैठक के दौरान, वित्त मंत्रालय ने मंत्रिमंडल द्वारा योजना के अनुमोदन की शर्तों पर आर-ई चरण में निधियों की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

2.6 समिति पाती है कि कोयला मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आवंटित बजट अनुमान 534.00 करोड़ रूपये था, जिसे आरई चरण में बढ़ाकर 644.09 करोड़ रूपये कर दिया गया और 31.12.2021 तक वास्तविक उपयोगिता 360.97 करोड़ रूपये थी जो संशोधित अनुमान का 56.04% है।

2.7 चूंकि कोविड-19 महामारी ने वर्ष 2020 और 2021 के दौरान सभी कार्यकलापों को प्रभावित किया, समिति ने कोयले के उत्पादन, मांग और आपूर्ति पर इसके प्रभाव के बारे में जानकारी मांगी। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

" कोविड-19 महामारी के प्रकोप और उसके बाद लॉकडाउन लागू करने के परिणामस्वरूप विद्युत् और गैर-विद्युत क्षेत्र द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान मांग में कमी आई, जिससे कोयला से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कोयला प्रेषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कोयला उत्पादन को उच्च पिट हेड

कोयला स्टॉक, बिजली घरों में पर्याप्त कोयला स्टॉक और कम उठाव के कारण नियंत्रित किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का कच्चा कोयला उत्पादन लक्ष्य 710 मिलियन टन था। वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में कोविड महामारी के दीर्घ और लगातार प्रभाव तथा कम कोयले की मांग को ध्यान में रखते हुए, लक्ष्य को संशोधित कर 660 मिल टन कर दिया गया। 660 एमटी के इस लक्ष्य की तुलना में सीआईएल ने वर्ष 2020-21 के दौरान 596.22 एमटी का उत्पादन किया। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के संबंध में, 67.50 मीट्रिक टन के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में एससीसीएल ने वर्ष 2020-21 के दौरान 50.58 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया।

वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था के रिकवरी मोड में आने के साथ कोयले की मांग में भी वृद्धि हुई। अप्रैल-जनवरी, 2022 के दौरान, सीआईएल से कोयले का प्रेषण पिछले वर्ष की इसी अवधि के 463.16 मिलियन टन की तुलना में 542.48 मिलियन टन था, जो वर्ष 2020-21 की समान अवधि में 17% की वृद्धि है और वर्ष 2019-20 की समान महामारी मुक्त अवधि में 15% की वृद्धि है। अप्रैल-जनवरी, 2022 के दौरान एससीसीएल से प्रेषण 54.17 मिलियन टन था, जोकि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में में 45% की वृद्धि है और वर्ष 2019-20 की समान महामारी मुक्त अवधि की तुलना में 4.2% की वृद्धि है।

इस प्रकार, आगामी वर्ष 2022-23 की बढ़ती मांग को देखते हुए, सीआईएल को वर्ष 2022-23 के लिए 700 मिलियन टन की मात्रा का उत्पादन और प्रेषण करने के लिए अधिदेशित किया गया है। एससीसीएल ने वर्ष 2022-23

के लिए 70 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन और प्रेषण लक्ष्य प्रस्तावित किया है।"

अध्याय – तीन

केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का कार्यान्वयन

3.1 कमियों के कारणों, यदि कोई हो, के साथ-साथ वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान कोयला मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के लिए उपयोगिता की तुलना में निधियों के आवंटन और बजट अनुमान 2022-23 के बारे में पूछे जाने पर, समिति को निम्नवत जानकारी दी गई:-

(करोड़ रुपए में)

योजना	वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	उपयोगिता	टिप्पणी
विस्तृत अन्वेषण	2019-20	817	665.05	586.88	बजट के एनई घटक का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि मध्यम से लेकर घना वन आवरण, उबड-खाबड भौगोलिक स्थिति, प्रतिकूल कानून-व्यवस्था दशाएं, विशेष भूमि काश्तकारी अधिनियम एवं अन्वेषण एजेंसियों की सीमित उपलब्धता के कारण बड़े स्तर पर अन्वेषण कार्य शुरू नहीं किया जा सका।
	2020-21	630	385	351.39	
	2021-22	200	350.05	180.00 (जनवरी 22)	एनई को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में ड्रिलिंग। 287 करोड़ रु. की देयता। 100% निधि का उपयोग किए जाने की संभावना है।
	2022-23	175	-	-	-

क्षेत्रीय/ संवर्धनात्मक अन्वेषण	2019-20	120.00	90.00	72.585	बजट के एनई घटक का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि मध्यम से लेकर घना वन आवरण, उबड़-खाबड़ भौगोलिक स्थिति, प्रतिकूल कानून-व्यवस्था दशाएं, विशेष भूमि काश्तकारी अधिनियम एवं अन्वेषण एजेंसियों की सीमित उपलब्धता के कारण बड़े स्तर पर अन्वेषण कार्य शुरू नहीं किया जा सका।
	2020-21	70	100	92.00	
	2021-22	130	120	98.68 (जनवरी,22)	एनई को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में ड्रिलिंग 100% निधि का उपयोग किए जाने की संभावना है।
	2022-23	75	-	-	-
अनुसंधान और विकास/एसएंडटी	2019-20	25	22	18.78	एनई में स्थित संस्थानों/संगठनों से अच्छी प्रतिक्रिया न मिलने और एनई क्षेत्र के लिए आरएंडडी परियोजनाएं शुरू करने के लिए अन्यत्र स्थित संस्थानों की अनिच्छा के कारण आवंटित आरएंडडी निधि का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा सका।
	2020-21	25	12	9.97	

	2021-22	18	11.50	8.35 (जनवरी,22)	वर्ष 2019-20 के दौरान, कोयला मंत्रालय से 18.78 करोड़ रु. की निधि प्राप्त हुई थी और 99.41 % का उपयोग किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान, 9.97 करोड़ रु. (सामान्य + एनईआर) का उपयोग किया गया है और निधि के एससी और टीएसपी घटक के उपयोग के लिए कोई दिशानिर्देश / रूपरेखा न होने के कारण शेष आवंटित निधि (सं.अ.) का उपयोग नहीं किया जा सका।
	2022-23	10	-	-	-
कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा	2019-20	4	4	3.60	
	2020-21	10	6	5.72	
	2021-22	6	4.50	3.73 (जनवरी, 22)	
	2022-23	04	-	-	-
कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंचरना का विकास	2019-20	130.50	90	80.99	
	2020-21	84.48	50.23	45.21	
	2021-22	65.48	65.48	58.23 (जनवरी, 22)	
	2022-23	50.04	-	-	-

पर्यावरणीय उपाय एवं धंसाव नियंत्रण बजट अनुमान 2022-23 – 0.50 करोड़ रूपये।

उत्तर पूर्व क्षेत्र में परियोजना और विकास

3.2 समिति ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र में कोयला मंत्रालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कोयला परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में सामना की जाने वाली कठिनाइयों और निधियों की अधिकतम उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस पहल की गई या प्रस्तावित किया गया, के बारे में जानना चाहा, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में बताया कि कोयला अन्वेषण की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में एनईआर में जिन प्रमुख कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वे हैं वन क्षेत्र, ऊबड़-खाबड़ इलाके, विशेष भूमि काश्तकारी अधिनियम, कानून और व्यवस्था की समस्याएं और पतले और अविरल कोयला सीम। इनमें से कुछ कठिनाइयों को राज्य सरकार के सीधे हस्तक्षेप से कम किया जा सकता है। कोयला मंत्रालय ने काम शुरू करने के लिए सभी राज्य सरकारों के डीजीएम के साथ दो बैठकें आयोजित की हैं। सीएमपीडीआई ने ब्लॉकों की निविदा लेने के लिए डीजीएम (अरुणाचल प्रदेश) के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। साथ ही डीजीएम (मिजोरम) को निविदा दस्तावेज को अंतिम रूप देने और निविदा जारी करने में सहायता प्रदान की।

कोयला मंत्रालय ने अन्वेषण में तेजी लाने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना से डीजीएम (नागालैंड) को ड्रिल रिग और संबद्ध पी एंड एम की खरीद के लिए अगस्त, 2018 में ₹ 1.01 करोड़ स्वीकृत किया। वर्ष 2021-22 में दो ब्लॉक में सम्वाध्नात्मक अन्वेषण जारी है। एक ब्लॉक में वर्ष 2020-21 में अन्वेषण पूरा कर लिया गया है और वर्ष 2021-22 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना (अनुसंधान और विकास) के संबंध में विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्रों के लिए आवंटित निधि और वास्तविक व्यय निम्नवत है:-

(करोड़ रुपये में)

2018-19		2019-20		2020-21	
आवंटित निधि	वास्तविक उपयोगिता	आवंटित निधि	वास्तविक उपयोगिता	आवंटित निधि	वास्तविक उपयोगिता
2.00	1.27	2.20	-	1.20	1.20

वर्ष 2018-19 के दौरान, आवंटित निधि का 63.5% उपयोग किया गया था और परियोजना प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण वर्ष 2019-20 के दौरान कोई उपयोग नहीं हुआ था।

(ख) कोयले और लिग्नाइट का अन्वेषण

क्षेत्रीय (संवर्धनात्मक) अन्वेषण और विस्तृत अन्वेषण की योजना में कुल आबंटित निधि का 10% उत्तर-पूर्व क्षेत्रों के लिए रखा गया है। अन्वेषण की दोनों योजनाओं में निधियों का कम उपयोग एनईआर राज्यों के डीजीएम/डीएमआर की सक्रिय भागीदारी की कमी और वन क्षेत्र, ऊबड़-खाबड़ इलाके, विशेष भूमि काश्तकारी अधिनियम, कानून और व्यवस्था की समस्याएं, पतले और अविरल कोयला सीम के कारण है।

(करोड़ रुपये में)

उप-योजना	वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय
	2018-19	40.45	40.45	-

विस्तृत ड्रिलिंग	2019-20	81.70	66.51	2.10
	2020-21	63	38.50	5
क्षेत्रीय अन्वेषण	2018-19	30	30	1.01
	2019-20	12	9	2.30
	2020-21	7	10	2

(ग) ईएमएससी (पर्यावरण उपाय और धंसाव नियंत्रण)

ईएमएससी योजना में उत्तर-पूर्व क्षेत्रों के लिए कुल आवंटित निधि के 10% का प्रावधान रखा गया है। विवरण निम्नवत हैं:

(करोड़ रुपये में)

2018-19		2019-20		2020-21	
आवंटित निधि	वास्तविक उपयोगिता	आवंटित निधि	वास्तविक उपयोगिता	आवंटित निधि	वास्तविक उपयोगिता
0.50	-	0.50	-	0.50	-

उत्तर पूर्व क्षेत्र (एनईआर) में स्थित विभिन्न संस्थानों/संगठनों और अन्य संस्थानों/संगठनों को भी अनुसंधान प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए कई अनुरोध पत्र भेजे गए थे। उन्हें अनुस्मारक भी भेजा गया है, लेकिन, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, कोयला क्षेत्र के लिए लाभकारी अनुसंधान कार्यकलापों में उनकी व्यापक भागीदारी के लिए एनईआर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों/अनुसंधान संगठनों/एजेंसियों के साथ प्रयास जारी हैं।

योजनाओं की समीक्षा

एक. अनुसंधान और विकास

क. एस एंड टी के अंतर्गत अनुसंधान परियोजनाओं की स्थिति

3.3 कोयला क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यकलापों का संचालन एक शीर्ष निकाय नामतः स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) के माध्यम से किया जाता है, सचिव (कोयला) जिसके चेयरमैन होते हैं। इस शीर्ष निकाय के अन्य सदस्यों में सीआईएल के चेयरमैन, सीएमपीडीआई, एससीसीएल और एनएलसीआईएल के सीएमडी, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के महानिदेशक (डीजी), संबंधित सीएसआईआर प्रयोगशालाओं के निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), नीति आयोग और अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि और तकनीकी उप-समिति के अध्यक्ष आदि सम्मिलित हैं। एसएसआरसी का मुख्य कार्य कार्यक्रम, बजट तैयार करना और अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना है। एसएसआरसी को वार्षिक रोटेशन के आधार पर आईआईटी-केजीपी/बीएचयू/आईएसएम के विभागाध्यक्ष (खनन) की अध्यक्षता में एक तकनीकी उप-समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। आर एंड डी परियोजनाएं 7 विषयगत क्षेत्रों के अंतर्गत आती हैं अर्थात उत्पादन और उत्पादकता में सुधार के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी/पद्धति, सुरक्षा में सुधार, स्वास्थ्य और पर्यावरण, कचरे से धन, कोयले और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी का वैकल्पिक उपयोग, कोयला सज्जीकरण और उपयोगिता, अन्वेषण, नवाचार और स्वदेशीकरण (मेक-इन-इंडिया अवधारणा के तहत)। सीएमपीडीआई, कोयला क्षेत्र में अनुसंधान गतिविधियों के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसमें अनुसंधान कार्यकलापों के लिए 'महत्वपूर्ण क्षेत्र' को चिह्नित करना, ऐसी एजेंसियों को चिह्नित

करना जो चिह्नित क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य कर सकते हैं, सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तावों को भेजना, बजट अनुमान तैयार करना, निधि का संवितरण और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी आदि सम्मिलित हैं।

ख. वित्तीय कार्यनिष्पादन

3.4 मंत्रालय ने विगत तीन वर्षों के दौरान बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक उपयोगिता को दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत किया है, जो निम्नवत है:-

(करोड़ रुपए में)

योजना का नाम	वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	उपयोगिता	टिप्पणी
अनुसंधान और विकास/एसएंडटी	2019-20	25	22	18.78	एनई में स्थित संस्थानों/संगठनों से अच्छी प्रतिक्रिया न मिलने और एनई क्षेत्र के लिए आरएंडडी परियोजनाएं शुरू करने के लिए अन्यत्र स्थित संस्थानों की अनिच्छा के कारण आवंटित आरएंडडी निधि का पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा सका।
	2020-21	25	12	9.97	वर्ष 2019-20 के दौरान, कोयला मंत्रालय से 18.78 करोड़ रु. की निधि प्राप्त हुई थी और 99.41 % का उपयोग किया गया था।
	2021-22	18	11.50	8.35 (अप्रैल'21-जनवरी,22)	वर्ष 2020-21 के दौरान, 9.97 करोड़ रु. (सामान्य + एनईआर) का उपयोग किया गया है और निधि के एससी और टीएसपी घटक के उपयोग के लिए कोई दिशानिर्देश / रूपरेखा न होने के कारण शेष आवंटित निधि (सं.अ.) का उपयोग नहीं किया जा सका।

3.5 उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि बजट अनुमान 2021-22 में अनुसंधान और विकास योजना के लिए आवंटित 18.00 करोड़ रुपये को घटाकर संशोधित अनुमान चरण में 11.50 करोड़ रुपये कर दिया गया था और जनवरी, 2022 तक वास्तविक उपयोगिता 8.35 करोड़ रुपये थी।

3.6 समिति को यह भी बताया गया है कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान अनुसंधान और विकास योजना के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए आवंटित निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि संवितरण के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं थे। दिशानिर्देश नहीं बनाने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने एक साक्ष्योपरांत उत्तर में बताया है कि सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति और जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत अनुसूचित जाति घटक के लिए 8.3% और एसटी घटक के लिए 8.6% के हिसाब से आवंटन/उपयोग किया जाना आवश्यक है। तथापि, कोयला मंत्रालय के तहत अनुसंधान और विकास की केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए प्रत्यक्ष तौर पर लाभकारी उन्मुख योजना नहीं हैं।

ग. वास्तविक कार्यनिष्पादन

3.7 वर्ष 2021-22 के दौरान, कोयला एस एंड टी परियोजनाओं की स्थिति निम्नवत है:-

क्र.सं.	मानदंड	मात्रा
1.	01.04.2021 की स्थिति के अनुसार चल रही परियोजनाएं	12
2.	वर्ष 2021-22 के दौरान (30.11.2021 तक) पूर्ण की गई परियोजनाएं	02
3.	वर्ष 2021-22 के दौरान (30.11.2021 तक) एसएसआरसी द्वारा	01

	अनुमोदित परियोजनाएं	
4.	01.04.2021 की स्थिति के अनुसार चल रही परियोजनाएं	11

3.8 जहां तक अनुसंधान और विकास योजना के अंतर्गत की गई पहलों का संबंध है, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:-

आर एंड डी पहल पर आते हुए, कोयला मंत्रालय, बजट में दी गई निधियों के साथ साथ सीआईएल के अपने बजटीय आवंटन के साथ बहुत सी आर एंड डी पहल करता है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और पर्यावरण सम्मिलित हैं। प्रौद्योगिकी को शामिल करने के मामले में, सभी खानों में ड्रोन का उपयोग बहुत सफल रहा है। अब हम कंटूर मैप तैयार कर रहे हैं, बिल्ट अप स्ट्रक्चर मैप तैयार कर रहे हैं, ब्लास्टिंग निगरानी कर रहे हैं, दुर्गम स्थानों पर महत्वपूर्ण संस्थापना का निरीक्षण कर रहे हैं, वायु गुणवत्ता की निगरानी कर रहे हैं, मंत्रालय द्वारा लगाए गए वृक्षारोपण की सफलता की निगरानी कर रहे हैं और विफलताओं की भविष्यवाणी के लिए अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम का स्वदेशी स्तर पर विकास कर रहे हैं। खुले मुहाने वाले खदानों के लिए अब हमारे पास ऑनलाइन कोयला धूल दमन प्रणाली है। ये आर एंड डी क्षेत्र की कुछ पहलें हैं, जो कोयला मंत्रालय ने की हैं।

घ. अनुसंधान और विकास 2022-23 के अंतर्गत वित्तीय आवंटन

3.9 वर्ष 2022-23 के लिए आर एंड डी योजना के तहत वर्ष के लिए बजट अनुमान 10.00 करोड़ रुपये है। यह पूछे जाने पर कि क्या 2022-23 के लिए आरएंडडी के तहत आवंटित निधियां योजना को लागू करने के लिए पर्याप्त हैं, मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान (अर्थात 10 करोड़ रुपये) का उपयोग चल रही और अनुमोदित की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए

किए जाने का अनुमान है। तथापि, यदि आवश्यक हो, तो आरई 2022-23 चरण में वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त निधियों की मांग की जाएगी।

3.10 मंत्रालय के प्रतिनिधि ने आर एंड डी योजना के तहत निधि में वृद्धि का कारण बताते हुए साक्ष्य के दौरान कहा कि मंत्रालय को समिति का समर्थन चाहिए। इस योजना में बहुत कम पैसा है। अगले वर्ष अर्थात 2022-23 के लिए मंत्रालय को केवल 10 करोड़ रुपये मिले।

दो. कोयला और लिग्नाइट में संवर्धनात्मक (क्षेत्रीय) अन्वेषण

3.11 मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल), राज्य सरकारें और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई) कोयला मंत्रालय की "कोयला और लिग्नाइट के लिए संवर्धनात्मक अन्वेषण" योजना के तहत संवर्धनात्मक अन्वेषण कर रहे हैं।

3.12 पिछले दो वर्षों में निर्धारित और जारी की गई और 2021-22 के दौरान आवंटित और जनवरी, 2022 तक उपयोग की गई निधियों के संबंध में विवरण, कमी के कारणों के साथ, यदि कोई हो, नीचे दिया गया है: -

(करोड़ रुपए में)

योजना का नाम	वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक उपयोगिता	टिप्पणी
क्षेत्रीय/ संवर्धनात्मक अन्वेषण	2019-20	120.00	90.00	72.585	बजट के एनई घटक का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि मध्यम से लेकर घना वन आवरण, ऊबड-खाबड भौगोलिक स्थिति, प्रतिकूल कानून-व्यवस्था दशाएं, विशेष भूमि काश्तकारी

	2020-21	70	100	92.00	अधिनियम एवं अन्वेषण एजेंसियों की सीमित उपलब्धता के कारण बड़े स्तर पर अन्वेषण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। एनई को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में ड्रिलिंग।
	2021-22	130	120	98.68 (अप्रैल'21-जनवरी,22)	100% निधि का उपयोग किए जाने की संभावना है।

3.13 समिति पाती है कि बजट अनुमान 2021-22 में क्षेत्रीय अन्वेषण के लिए आवंटित 130.00 करोड़ रुपये को घटाकर आरई स्तर पर 120.00 करोड़ रुपये कर दिया गया और जनवरी, 2022 तक वास्तविक उपयोगिता 98.68 करोड़ रुपये की थी। वर्ष 2022-23 के दौरान, बजट अनुमान में आवंटन को और कम कर 75.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार, वर्ष 2021-22 के लिए 1.50 लाख मीटर के ड्रिलिंग लक्ष्य की तुलना में आरई 2021-22 में ड्रिलिंग लक्ष्य को घटाकर 1.40 लाख मीटर कर दिया गया और दिसंबर, 2021 तक 1.31 लाख मीटर ड्रिलिंग की गई है।

3.14 समिति ने यह जानना चाहा कि क्या मंत्रालय 31.03.2022 तक शेष राशि का उपयोग करने और शेष अन्वेषण लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होगा, मंत्रालय ने एक साक्ष्योपरांत उत्तर में बताया कि:-

"वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 मार्च, 2022 तक क्षेत्रीय अन्वेषण के एनईआर घटक को छोड़कर 100% निधि का उपयोग कर लिया जाएगा। सीएमपीडीआई ने संवर्धनात्मक अन्वेषण के बीई चरण के 1.50 लाख मीटर

लक्ष्य की तुलना में जनवरी, 2022 तक 1.47 लाख मीटर ड्रिलिंग का लक्ष्य हासिल कर लिया है, और शेष मीटरेज भी 31 मार्च, 2022 तक हासिल कर लिया जाएगा।"

3.15 इस संबंध में, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान समिति को बताया कि:-

"देश के लिए क्षेत्रीय और संवर्धनात्मक अन्वेषण बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष, मंत्रालय ने 73 करोड़ रुपये का उपयोग किया। पांच खानों के लिए भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की गई थी और अन्वेषित क्षेत्र 134 और अनुमानित संसाधन 2.7 बिलियन टन था।"

3.16 यह पूछे जाने पर कि 2022-23 के लिए लक्ष्य क्या है और क्या बीई स्तर पर उपलब्ध कराई गई निधियां लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में बताया कि:-

"वर्ष 2022-23 का प्रस्तावित लक्ष्य 1.50 लाख मीटर है। क्षेत्रीय अन्वेषण में 1.50 लाख मीटर और 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण के प्रस्तावित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संशोधित अनुमान 2022-23 में लगभग 176 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। ब.अ. 2022-23 में 75 करोड़ रु. का परिव्यय 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण के साथ कोयला और लिग्नाइट के संवर्धन (क्षेत्रीय) अन्वेषण की उप योजना के तहत केवल लगभग 0.40 लाख मीटर ड्रिलिंग के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 के दौरान, 1.50 लाख मीटर के मूल लक्ष्य की तुलना में 1.65 लाख मीटर संवर्धनात्मक ड्रिलिंग की जाएगी। इसके लिए, वर्ष 2021-22 के लिए आवंटित 120 करोड़ रुपये के अलावा, 45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होगी।"

तीन. गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग

3.17 सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई) सीआईएल और गैर-सीआईएल ब्लॉकों में सख्त समय-सीमा के अनुसार विस्तृत अन्वेषण करता है ताकि **संकेतित** और **अनुमानित** श्रेणी में आने वाले संसाधनों को **माप** (सिद्ध) श्रेणी में लाया जा सके। गैर-सीआईएल/कैप्टिव खनन ब्लॉकों में अन्वेषनात्मक ड्रिलिंग कोयला मंत्रालय की योजना "गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग" के तहत की जाती है।

3.18 मंत्रालय ने गैर-सीआईएल ब्लॉकों में 2021-22 के दौरान जनवरी, 2022 तक विस्तृत ड्रिलिंग के लिए आवंटित धन और वास्तविक उपयोग को दर्शाने वाला एक विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:-

(करोड़ रुपये में)

उप-योजना	वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	उपयोग	टिप्पणी
गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत अन्वेषण	2021-22	200	350.05	180 (जनवरी, 2022 तक)	एनईआर घटक को छोड़कर 100% निधि का उपयोग किया जाएगा । कोयला मंत्रालय द्वारा 31/01/2022 तक जारी 180 करोड़ रुपये को पूर्ण रूप से संवितरित कर दिया गया है।

3.19 उपरोक्त से देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान, बजट अनुमान चरण में 200 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे, जिसे संशोधित अनुमान चरण में

बढ़ाकर 350.05 करोड़ रुपए कर दिया गया और जनवरी, 2022 तक वास्तविक व्यय 180 करोड़ रुपए रहा है।

3.20 समिति ने यह जानना चाहा कि क्या 2021-22 के दौरान आरई चरण में निधियों को बढ़ाकर अधिक वास्तविक लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत जानकारी दी:-

> "गैर सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग का लक्ष्य बजटीय स्तर पर अनुमानित चरण में 1.90 लाख मीटर से बढ़ाकर आरई चरण में 2.00 लाख मीटर कर दिया गया है। । सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई) ने अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 की अवधि के दौरान 1.82 लाख मीटर की ड्रिलिंग मीटरेज हासिल किया है, और मार्च 2022 तक कुल 2.10 लाख मीटर ड्रिलिंग हासिल होने की उम्मीद है। वर्ष 2021-22 की अनुमानित उपलब्धि को पूरा करने और पिछले वर्ष के 287 करोड़ रुपये के बकाया को चुकाने के लिए एनईआर घटक को छोड़कर 100% निधि का उपयोग किया जाएगा।"

3.21 इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि क्या बीई चरण 2022-23 में 175 करोड़ रुपये के स्वीकृत परिव्यय (895 करोड़ रुपये के अनुमान के मुकाबले) भविष्य में अन्वेषण कार्यकलापों और कोयला उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, समिति को बताया गया है कि:-

> "वित्त वर्ष 2022-23 में 895 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बीई की तुलना में 7.50 लाख मीटर का भौतिक लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था, इसलिए, बीई

चरण में 175 करोड़ रुपये का स्वीकृत परिव्यय केवल 1.60 लाख मीटर ड्रिलिंग के लिए पर्याप्त होगा न कि 7.50 लाख मीटर के लिए।"

वर्ष 2021-22 के व्यय और पिछले वर्षों के बकाया को पूरा करने के बाद वर्ष 2022-23 में लगभग 150 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करना होगा। वर्ष 2022-23 में इन बकाए का भुगतान करने के बाद, वर्ष 2022-23 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केवल 25 करोड़ रुपये उपलब्ध रहेंगे। हर साल, सीएमपीडीआई लगभग 100-150 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करता है, और 2.00 बीटी से 5.00 बीटी माप (सिद्ध) संसाधनों को गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत अन्वेषण के माध्यम से राष्ट्रीय सूची में जोड़ा जाता है। निधि की कमी से ड्रिलिंग में कमी आएगी जिससे कम क्षेत्र में खुदाई होगी। इसलिए, निधि की कमी, पर्याप्त संख्या में भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने को प्रभावित कर सकती है और परिणामस्वरूप भविष्य में खदानों की संख्या का अनुमान लगाने में विलंब हो सकता है।"

3.22 चूंकि विस्तृत ड्रिलिंग में उपलब्धि बहुत हद तक पर्यावरण और वन मंजूरी और खनन क्षेत्रों में बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति पर निर्भर करती है, समिति ने यह जानना चाहा कि इस संबंध में इन मुद्दों को जल्द-से-जल्द हल करने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। इस संबंध में, समिति को बताया गया है कि:-

"खनन एवं संबद्ध गतिविधियों में बाधा डालने वाली कानून व्यवस्था का मामला एमओसी के अधिकारियों ने पूर्व में विभिन्न राज्य सरकार के अधिकारियों के समक्ष लगातार उठाया गया है। सीएमपीडीआई की ओर से जिला/स्थानीय प्रशासन, स्थानीय नेताओं और ग्रामीणों के साथ इस संबंध

में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था में सुधार हेतु राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ कई बैठकें की गई है। वन मंजूरी प्राप्त करने के लिए, उचित आवेदन प्रक्रिया के अनुसार आवेदन पर कार्य किया जा रहा है और सीएमपीडीआई द्वारा राज्य सरकार के वन प्राधिकरण के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, सीएमपीडीआई ने कोयला क्षेत्र में भूकंपीय सर्वेक्षण करने के लिए एमओईएफसीसी के दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए एमओसी को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।"

चार. कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा

3.23 कोयले का संरक्षण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, खासकर तब जब हमारे कोयला भंडार सीमित हैं। कोयले के संरक्षण के पहलू को आयोजना चरण से ही ध्यान में रखा जाता है और कार्यान्वयन चरण के दौरान अधिकतम वसूली सुनिश्चित की जाती है। खदानों को तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर या तो ओपनकास्ट के माध्यम से या भूमिगत तरीकों से कोयला सीम संबंधी कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मशीनीकृत ओपनकास्ट (ओसी) खनन वर्तमान में उथली गहराई पर मोटी सीम निकालने के लिए आमतौर पर अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी है। यह संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तकनीक द्वारा प्रतिशत वसूली लगभग 80% से 90% है। वर्तमान में, इस प्रौद्योगिकी का कोयला उद्योग में दबदबा है और देश के कोयला उत्पादन में इसका योगदान 94% से अधिक है। इसके अलावा, जब भी संभव हो, भूमिगत खानों के डेवलप्ड पिलर को भी ओपनकास्ट ऑपरेशन के माध्यम से निकाला जा रहा है। नई प्रौद्योगिकियों जैसे लॉन्गवॉल मेथड, शॉर्टवॉल मेथड, हाईवॉल माइनिंग और कंटीन्यूअस माइनर टेक्नोलॉजी के आने से भूमिगत खनन (यूजी) में निकासी का प्रतिशत बढ़ा है। मैकेनाइज्ड बोल्टिंग और रेजिन कैप्सूल के साथ रूफ सपोर्ट

टेक्नोलॉजी में सुधार के साथ, व्यापक गैलरी स्पैन को बनाए रखना और खराब छत की स्थिति में सीम को अधिक कुशलता से निकालना संभव हो पाया है, जिसके परिणामस्वरूप कोयले के संरक्षण में सुधार हुआ है।

3.24 भूमिगत खानों में रेत जमा करना कोयला संरक्षण का एक और प्रभावी साधन है, जो महत्वपूर्ण सतही संरचनाओं, रेलवे लाइनों, नदियों, नालों, आदि जैसे निर्मित क्षेत्रों के नीचे स्थित भूमिगत कोयला सीमों से कोयला पिलर के निष्कर्षण के लिए व्यापक रूप से उपयोग में है, अन्यथा जिसके कारण पिलर में कोयला लॉक हो जाता। स्टोइंग कई बार में मोटी सीम निकालने में भी मदद करता है जिससे निष्कर्षण का प्रतिशत बढ़ जाता है। रेत की कमी के कारण, अन्य सामग्री जैसे फ्लाई ऐश, बॉयलर ऐश, क्रश्ड ओवरबर्डन सामग्री आदि का उपयोग भूमिगत खदानों में रेत के विकल्प के रूप में करने के लिए विभिन्न प्रायोगिक परीक्षण किए जा रहे हैं। वर्तमान में, क्रश्ड ओवरबर्डन सामग्री का उपयोग व्यावसायिक रूप से भूमिगत कोयला खदानों में भंडारण के लिए किया जा रहा है, जहां खदान के आसपास के क्षेत्र में रेत उपलब्ध नहीं है या दूर नदी के स्रोतों से रेत का परिवहन करना महंगा है।

3.25 बजट अनुमान, संशोधित अनुमान चरण में कोयला खानों में संरक्षा और सुरक्षा योजना के अंतर्गत आवंटित निधि और बजट अनुमान 2022-23 के साथ-साथ विगत तीन वर्षों के दौरान उपयोगिता निम्नवत है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	उपयोगिता
2019-20	4	4	3.60
2020-21	10	6	5.72
2021-22	6	4.50	3.73 जनवरी, 2022 तक
2022-23	4		

3.26 उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के लिए बजट आवंटन 10 करोड़ रुपये था जिसे आरई चरण में घटाकर 6 करोड़ रुपये कर दिया गया था और वास्तविक व्यय 5.72 करोड़ रुपये था। इसी तरह, वर्ष 2021-22 के दौरान, 6 करोड़ रुपये के बीई को आरई चरण में घटाकर 4.50 करोड़ रुपये कर दिया गया था और जनवरी, 2022 तक वास्तविक व्यय 3.73 करोड़ रुपये रहा है। इस योजना के लिए वर्ष 2022-23 का बजट अनुमान 4 करोड़ रुपये है।

3.27 यह पूछे जाने पर कि पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के तहत कम निधियों का आवंटन क्यों किया जाता रहा है, मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में निम्नवत जानकारी दी:-

> "वित्त मंत्रालय वर्ष 2019-20 कोयला मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत समग्र निधि में लगातार कमी कर रहा है, और तदनुसार, इस उप-योजना के तहत निधियों को वर्षों से कम किया गया है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित वित्तीय परिव्यय के अनुसार, कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए संरक्षण और सुरक्षा उप-योजना के तहत 20 करोड़ रुपये की मांग की थी। तथापि, चूंकि केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए समग्र धनराशि कम कर दी गई है, वर्ष 2022-23 के लिए इस उप-योजना के लिए केवल 4.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।"

3.28 यह पूछे जाने पर कि क्या आवंटित निधियां आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी, मंत्रालय ने अपने उत्तर में निम्नवत बताया:-

"कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 20 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव दिया था, लेकिन, कोयला खान योजना में संरक्षण और सुरक्षा के लिए 4 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आवंटित निधियां पर्याप्त नहीं है क्योंकि सीसीडीए समिति पहले ही विगत वर्षों में पूर्ण किए गए कार्यों के लिए विभिन्न कोयला कंपनियों के दावों के विरुद्ध 8.05 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। तथापि, इस मुद्दे को सं.अ. चरण 2022-23 में वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया जाएगा।

3.29 पिछले पांच वर्षों के दौरान दर्ज/रिपोर्ट की गई चोटों और हताहतों के अलग-अलग आंकड़ों सहित कोयला खनन स्थलों पर दुर्घटनाओं का व्यापक डेटा प्रदान करने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

- सीआईएल और उसकी अनुषंगियां अवैध खनन गतिविधियों के कारण हुई किसी दुर्घटना से संबंधित रिकॉर्ड/डेटा का अनुरक्षण नहीं करती हैं, जो कानून और व्यवस्था की समस्या है। इस तरह के रिकॉर्ड राज्य सरकार के संबंधित प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित किए जाते हैं।
- तथापि, सीआईएल और उसकी अनुषंगियां खदान में कार्य करते समय या उसके दौरान हुई सभी खनन सांख्यिकीय दुर्घटनाओं का ब्यौरा रखती हैं।
- विवरण इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	मानदंड	2017	2018	2019	2020	2021
(एक)	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	34	33	30	29	27
(दो)	मौतों की संख्या	37	43	34	30	29
(तीन)	गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	108	89	86	73	57
(चार)	गंभीर चोटों की संख्या	108	98	90	80	61

नोट: 2020 के बाद के आंकड़े डीजीएमएस के साथ पुनर्मेल के अधीन हैं।

पांच. कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास

3.30 कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियम 2021 के अनुसार, इस योजना के तहत प्रतिपूर्ति के माध्यम से सड़कों के विकास और रेल बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। कोयला कंपनियां, सीसीडीए (कोयला संरक्षण और विकास सलाहकार) से प्रतिपूर्ति के लिए अपने दावे प्रस्तुत करती हैं, जिनकी कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) में जांच की जाती है और सीसीडीए समिति की सिफारिश के लिए सीसीडीए उप-समिति के समक्ष रखा जाता है। कोयला कंपनियों के दावों को मंजूरी देने के लिए सीसीडीए समिति की वर्ष में दो बार बैठक होती है, और तदनुसार, सीसीडीए योजना से धनराशि का संवितरण किया जाता है।

3.31 भविष्य में उत्पादन और निकासी में नियोजित वृद्धि प्राप्त करने के लिए, सीआईएल ने प्रमुख रेलवे अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के निर्माण का कार्य शुरू किया है। इन रेलवे इन्फ्रा परियोजनाओं को या तो भारतीय रेलवे (निक्षेप आधार पर) या रेलवे, सहायक कंपनी (सीआईएल का प्रतिनिधित्व करने वाली) और संबंधित राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाली इरकॉन के साथ संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।

3.32 तीन (03) प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाएं जमा आधार पर कार्यान्वित की जा रही हैं और (04) रेल इन्फ्रा परियोजनाएं संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

3.33 पिछले दो वर्षों में निर्धारित और जारी की गई और 2021-22 के दौरान आवंटित और जनवरी, 2021 तक उपयोग की गई राशि के संबंध में विवरण नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

योजना का नाम	वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक उपयोगिता
कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास	2019-20	130.50	90	80.99
	2020-21	84.48	50.23	45.21
	2021-22	65.48	65.48	58.23 (जनवरी,22 तक)

3.34 उपरोक्त से देखा जा सकता है वर्ष 2021-22 के लिए कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना के विकास के तहत 65.48 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया था, और जनवरी, 2022 तक वास्तविक व्यय 58.23 करोड़ रुपये था।

3.35 यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय योजना के तहत 2021-22 के दौरान संपूर्ण निधि का उपयोग करने में सक्षम होगा, समिति को एक लिखित उत्तर में निम्नवत जानकारी दी गई:-

> "7.25 करोड़ रुपये की निधियां, जिनकी प्रतिपूर्ति नहीं की गई है, एनईआर घटक (6.55 करोड़ रुपये) और सामान्य घटक (0.70 करोड़ रुपये) के तहत हैं। चूंकि, इन घटकों के अंतर्गत कोई मांग लंबित नहीं है; इन निधियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।"

3.36 मंत्रालय ने कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना के विकास के तहत वर्ष 2022-23 के लिए 72 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है, तथापि, बजट अनुमान के चरण में 50.04 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

3.37 एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कि क्या वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटित राशि कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना के लिए पर्याप्त होगी, मंत्रालय ने एक साक्ष्योपरांत उत्तर बताया है कि इसके अलावा, अब तक, प्रतिपूर्ति के लिए 44.00 करोड़ रुपये लंबित हैं (अनुसूचित जाति और जनजातीय उप-योजना घटक के तहत) और वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटित 50.04 करोड़ रुपये पर्याप्त नहीं होंगे। तथापि, आरई 2022-23 चरण में अतिरिक्त धनराशि के आवंटन के मुद्दे को वित्त मंत्रालय के साथ उठाया जाएगा।

छह. पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण (ईएमएससी):

3.38 सभी पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण (ईएमएससी) योजनाओं को 10 वर्षों की अवधि में 9773.84 करोड़ रु. के निवेश से अगस्त, 2009 में सरकार द्वारा स्वीकृत बीसीसीएल तथा ईसीएल के लीजहोल्ड के भीतर झरिया तथा रानीगंज कोलफील्ड्स में सतही अवसंरचना के आग, धंसाव, पुनर्वास और डायवर्जन से निपटने के लिए मास्टर प्लान में शामिल कर लिया गया है। इसे आंशिक रूप से सीआईएल के आंतरिक संसाधनों द्वारा तथा आंशिक रूप से सीएम (सीएंडडी) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत रेत भराई उत्पाद शुल्क के संग्रहण से वित्त पोषित किया जा रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड को पहले अपने आंतरिक संसाधनों से 350 करोड़ रु./- खर्च करने होंगे, जिसका वित्तपोषण सकल बजटीय सहायता से किया

जाएगा। इस अवधि के दौरान कुल व्यय प्रतिवर्ष 350 करोड़ रु./वर्ष से कम है, इसलिए सीएसएस निधि से कोई व्यय नहीं हुआ है।

3.39 इसके अलावा, समिति को निम्नवत जानकारी दी गई:-

"झरिया कोलफील्ड्स (जेसीएफ) के लिए मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की अवधि 11.08.2021 को और रानीगंज कोलफील्ड्स (आरसीएफ) के लिए 11.08.2019 को समाप्त हो गई है। 19वीं एचपीसीसी बैठक के निदेश के अनुसार, ईसीएल द्वारा सीएमपीडीआई, आरआई-1 और एडीडीए और बीसीसीएल, सीएमपीडीआई, आरआई-दो और जेआरडीए के परामर्श से वैकल्पिक पुनर्वास पैकेज, समय और लागत में वृद्धि को शामिल करते हुए एक व्यापक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया है। दोनों व्यापक प्रस्ताव पर 21वीं एचपीसीसी बैठक में चर्चा हुई है। एचपीसीसी की 21वीं बैठक के निदेश के अनुसार, दोनों प्रस्तावों के संशोधन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया क्रमशः झारखंड सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार में चल रही है।"

अध्याय – चार

कोयला पीएसयू का वास्तविक और वित्तीय कार्यनिष्पादन

क. वास्तविक कार्यनिष्पादन

4.1 मंत्रालय द्वारा यथाप्रस्तुत वर्ष 2021-22 के लिए कोयला उत्पादन हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य निम्नवत हैं:-

(मिलियन टन में)

कंपनी	2021-22	
	लक्ष्य	वास्तविक (जनवरी 2022 तक)
सीआईएल	670.00	478.13
एससीसीएल	68.00	52.54
एनएलसीआईएल	3.50	4.85
कैप्टिव (खान)	110.00	71.26

4.2 यह पूछे जाने पर कि क्या सीआईएल वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित भौतिक लक्ष्य को प्राप्त करेगी, मंत्रालय ने एक साक्ष्योपरांत उत्तर में बताया है कि:-

"वर्ष 2021-22 (23.02.22 तक) के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड का कच्चा कोयला उत्पादन 530.48 मिलियन टन (अनंतिम) है।

लक्ष्यों को प्राप्त करने में संभावित कमी के प्रमुख कारण निम्नवत हैं:

- भूमि अधिग्रहण की समस्या

- भूमि के भौतिक कब्जे में देरी
- *पुनर्वास और स्थान परिवर्तन* (आर एंड आर) संबंधी मुद्दे
- अतिक्रमण की समस्या
- वानिकी और पर्यावरणीय मंजूरी में विलंब
- निकासी और लाजिस्टिक्स संबंधी बाधाएं
- कानून और व्यवस्था की समस्या

कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर ने राष्ट्र को जकड़ लिया और एक निवारक उपाय के रूप में, राज्य प्राधिकारियों को अप्रैल, 2021 से लॉक डाउन / प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित किया। इसने न केवल खनन क्षेत्रों में सभी कार्यों को प्रभावित किया है, बल्कि कोयले पर निर्भर परिवारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कोविड के कारण जीवन को होने वाले खतरे के परिणामस्वरूप कई राज्यों में लॉक डाउन प्रतिबंध लगा दिए गए; बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार खदानों को छोड़कर चले गए और समय पर वापस नहीं लौट सके।

लगातार आने वाले चक्रवातों का प्रभाव, पश्चिम-तट पर "तौकता" और पूर्वी-तट पर "यास", ने मई 2021 के दौरान सभी कोयला की अनुषंगी कंपनियों के प्रदर्शन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

सभी अनुषंगी कंपनियों में बेमौसम बारिश ने कोयला उत्पादन से संबंधित कार्यनिष्पादन को प्रभावित किया।

तथापि, कोल इंडिया लिमिटेड अपनी स्थापना के बाद की उपलब्धियों को तोड़ते हुए वर्ष 2021-22 के दौरान कच्चे कोयले के उत्पादन में नई ऊंचाई हासिल करने के प्रति बहुत आश्वस्त है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, एससीसीएल के लिए कोयला उत्पादन लक्ष्य 68 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है, जिसकी तुलना में एससीसीएल ने नवंबर, 2021 तक 40.865 मीट्रिक टन मिलियन टन का लक्ष्य हासिल किया है। एससीसीएल ने वर्ष 2021-22 के दौरान, 23.02.2022 की स्थिति के अनुसार 57.52 मीट्रिक टन उत्पादन किया है।"

इसके अलावा, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कि क्या एससीसीएल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी है:-

> "एससीसीएल वर्ष 2021-22 के अंत तक 65.50 मीट्रिक टन उत्पादन की उम्मीद कर रहा है। शुरुआती दो महीनों में कोविड की दूसरी लहर, अक्टूबर और नवंबर, 2021 के महीने में हुई बेमौसम बारिश, अमोनियम नाइट्रेट की कमी के कारण ओपनकास्ट खदानों में ब्लास्टिंग के लिए विस्फोटकों की कमी और दिसंबर, 2021 में 3 दिनों की हड़ताल के कारण कोयला उत्पादन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है।"

4.3 वर्ष 2021-22 के दौरान, देश में कोयले के उत्पादन के लिए संपूर्ण अनुमानित लक्ष्य को प्राप्त करने के संबंध में, कोयला मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष उपस्थित होते हुए बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में पूरे भारत

में कोयले के उत्पादन में 10.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है और जनवरी, 2022 तक यह 545 मिलियन टन से बढ़कर 601 मिलियन टन हो गया है।

4.4 जहां तक वर्ष 2021-22 के लिए कोयले की समग्र मांग का संबंध है, वर्ष 2021-22 के दौरान अनुमानित मांग 918.00 मीट्रिक टन है। मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 से 2021-22 की अवधि में नवंबर तक थोक प्रयोक्ताओं द्वारा कोयले के वास्तविक उपयोग को दर्शाने वाला एक विवरण निम्नवत प्रस्तुत किया है:-

	क्षेत्र	2016-17 वास्तविक	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 (वास्तविक) अनंतिम	2021-22 (नवंबर 2021 तक) (अनंतिम)
एक.	**कोकिंग कोल**						
1	इस्पात / कोक अवन एंड कुकरीज(स्वदेशी)	10.336	11.447	17.662	11.908	8.975	6.747
2	इस्पात। (आयात)	41.644	47.003	51.838	51.833	51.198	34.250
	कुल (कोकिंग कोल)	**51.980**	**58.450**	**69.500**	**63.741**	**60.173**	**40.996**
दो.	**नॉन कोकिंग कोल**						
3	विद्युत् (यूटिलिटीज)	490.987	519.582	546.170	540.995	535.447	402.502
4	विद्युत् (कैप्टिव)	44.057	65.906	91.779	85.154	45.786	34.418
5	सीमेंट	6.356	7.708	8.817	8.569	6.754	5.077
6	स्पॉज आयरन	5.557	8.528	12.231	10.529	9.565	7.190
7	खाद सहित बीआरके एंड अन्य	88.685	76.832	56.135	50.021	84.357	63.412
	कुल (नॉन कोकिंग कोल)	**591.250**	**635.642**	**678.556**	**715.132**	**695.268**	**681.909**

8	नॉन कोकिंग कोयला(आयात)	149.309	161.269	183.402	196.704	164.053	96.796
तीन.	कुल आपूर्ति (एक + दो)	**836.931**	**898.276**	**968.034**	**955.713**	**906.135**	**650.391**

<u>टिप्पणः</u>

1. वर्ष 2020-21 के आंकड़े अनंतिम हैं।
2. अक्टूबर, 2021 तक आयात का आंकड़ा।
3. वर्ष 2021-22 की वास्तविक आपूर्ति (पिछले वर्ष के अनुपात का उपयोग करते हुए नवंबर, 21 तक)

4.5 सीआईएल, एससीसीएल और एनएलसीआईएल द्वारा वर्ष 2022-23 (मिलियन टन में) के दौरान कोयले के उत्पादन के अनुमानित लक्ष्य के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत जानकारी दी है:-

कंपनी का नाम	वर्ष 2022-23 का उत्पादन लक्ष्य
सीआईएल	700
एससीसीएल	72
एनएलसीआईएल	8
कुल	780

ख. <u>वित्तीय कार्यनिष्पादन</u>

4.6 कोयला मंत्रालय के मौखिक साक्ष्य के दौरान, पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से, समिति को कोयला पीएसयू के कैपेक्स के बारे में निम्नवत जानकारी दी गई है:-

(करोड़ रुपये में)

		2020-21				2021-22				2022-23
क्र.सं.	पीएसयू का नाम	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	सं.अ.के सन्दर्भ में वास्तविक का %	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक (जनवरी 2022 तक)	सं.अ.के सन्दर्भ में वास्तविक का %	ब.अ.
1	सीआईएल	10000	10000	13284	133	14685	14685	11538.87	78.58	16500

2	एनएलसीआईएल	6667	6667	2881	43	2061	2061	1941.58	94.21	2920
3	एससीसीएल	2300	2300	1310	57	2500	2000	1531.88	76.6	2000
	कुल	**18967**	**18967**	**17475**	**92**	**19246**	**18746**	**15012.33**	**80.08**	**21420**

4.7 उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान, सीआईएल, एनएलसीआईएल और एससीसीएल के क्रमशः 14685 रुपये, 2061 रुपये और 2500 रुपये (आरई चरण में 2000 करोड़ रुपये) के योजित कैपेक्स परिव्यय की तुलना में वास्तविक उपयोग (जनवरी, 2021 तक) सीआईएल द्वारा 11538.87 करोड़ (78.58%), एनएलसीआईएल द्वारा 1941.58 करोड़ (94.21%) और एससीसीएल द्वारा 1531.88 (76.6%) रहा है। सीआईएल, एनएलसीआईएल और एससीसीएल द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए बजट कैपेक्स परिव्यय क्रमशः 16500 करोड़ रुपये, 2920 करोड़ रुपये और 2000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

4.8 समिति ने यह जानना चाहा कि क्या कोयला/लिग्नाइट पीएसयू 31.03.2022 तक शेष निधियों का उपयोग करने में सक्षम होंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटित बजट परिव्यय को व्यय करने के लिए कोयला/लिग्नाइट कंपनियों की क्या योजना है। मंत्रालय ने अपने साक्ष्योपरांत उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"सीआईएल और एनएलसीआईएल से वर्ष 2021-22 के कैपेक्स लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद है। तथापि, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एससीसीएल के निम्न कारणों से कैपेक्स लक्ष्य प्राप्त नहीं करने की संभावना है:-

क) कोविड-19 महामारी के बाद कार्य जारी रखने के लिए कार्य आवंटी के नहीं आने के कारण 150 करोड़ रुपये मूल्य की सौर परियोजनाओं से

संबंधित कार्य रुका हुआ था। संविदा दी जा रही है और इसे वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित किया जाएगा।

ख) प्लांट और मशीनरी, नई परियोजना वेंकटेश खानी ओपन कास्ट (वीकेओसी) को शुरू करने में विलंब और कुछ मौजूदा खानों के लिए पुर्जों की खरीद में विलंब के कारण अगले वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है।

ग) कुछ परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में स्वामित्व टाइटल विवादों और लंबित अदालती मामलों के कारण विलंब हुआ था।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कैपेक्स लक्ष्य प्राप्त करने हेतु, सीपीएसई की कार्य योजना निम्नलिखित है।"

ग. <u>वर्ष 2022-23 के दौरान कैपेक्स</u>

<u>कोल इंडिया लिमिटेड</u>

4.9 कोयला मंत्रालय ने समिति को बताया है कि अग्रिम कार्रवाई शुरू करने के लिए, सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों ने दिसंबर, 2021 तक वर्ष 2022-23 के लिए अपने संबंधित पूंजीगत बजट को मंजूरी दे दी है और सीआईएल बोर्ड द्वारा जनवरी, 2022 में कुल पूंजीगत बजट (यानी 16500 करोड़ रुपये) को अनुमोदित किया गया है।

अनुषंगी कंपनियों ने वर्ष 2022-23 के पूंजीगत परिव्यय की तुलना में विभिन्न कार्यकलापों को चिह्नित किया है। इन सभी गतिविधियों को अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से ही व्यय सुनिश्चित करने के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है, जो वर्ष 2022-23 के लिए बजट परिव्यय के पूर्ण उपयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा।

भूमि का समय पर कब्जा सुनिश्चित करने और वन भूमि का विपथन सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर संबंधित राज्य सरकार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के प्रयास किए जा रहे हैं। पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) और भूमि के कब्जे के मुद्दों को हल करने के लिए अनुषंगी कंपनियों और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जिला स्तरीय भूमि प्रकोष्ठ बनाया गया है।

कोयला मंत्रालय गैर-वन भूमि के कब्जे और आर एंड आर, वन भूमि के विपथन, ईसी और निकासी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सम्मिलित महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए सक्रिय सहायता प्रदान कर रहा है।

"संयंत्र और मशीनरी" के शीर्ष के तहत एक बड़े निवेश की भी उम्मीद है, जिसमें हेवी अर्थ मूविंग मशीन (एचईएमएम) और उच्च मूल्य के यू/जी उपकरण खरीदे जा रहे हैं।

इसके अलावा, सीआईएल बोर्ड द्वारा मासिक आधार पर कैपेक्स की समीक्षा की जा रही है और सहायक मुख्यालयों और सीआईएल मुख्यालय स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है।

<u>एनएलसीआईएल</u>

4.10 एनएलसीआईएल बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 2920 करोड़ रुपये की कैपेक्स योजना को अनुमोदित किया गया है। नेवेली न्यू थर्मल पावर प्रोजेक्ट (एनएनटीपीपी) के फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) पैकेज के लिए प्राधिकरण पत्र (एलओए) दिया गया है और नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड (एनयूपीपीएल) चालू होने के अग्रिम चरण में है, इसलिए, आवंटित कैपेक्स प्राप्त कर लिया जाएगा। एनएलसीआईएल ने पहले ही 150 मेगावाट के लिए हाइब्रिड-सौर परियोजना हासिल कर ली है और एसडीओ की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। अन्य सभी परियोजनाएं वर्तमान में तेजी से चल रही हैं और वित्त वर्ष 2022-23 के लिए निर्धारित लक्ष्य के लिए कैपेक्स प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

<u>एससीसीएल:</u>

4.11 क) वर्ष 2022-23 के लिए 2000 करोड़ रुपये की कैपेक्स वार्षिक योजना विस्तार से तैयार की गई है और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधितों को अग्रिम रूप से संप्रेषित कर दी गई है।

ख) संयंत्र और मशीनरी की समय पर खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है।

ग) वर्ष 2022-23 में 66 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को कार्यान्वयन के लिए फिर से देने की प्रक्रिया चल रही है और सिंगरेनी थर्मल पावर प्लांट

(एसटीपीपी) के फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफडीजी) कार्यों में तेजी लाइ जा रही है।

घ) नई परियोजनाओं को समय पर शुरू करने और मौजूदा खदानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए भूमि और पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) मुद्दों के तेजी से समाधान के लिए राज्य सरकार के साथ नियमित संपर्क किया जा रहा है।

घ. <u>बकाया राशि</u>

4.12 समिति ने 31 मार्च, 2019, 2020 और 2021 तक कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), एससीसीएल और एनएलसी इंडिया लिमिटेड की राज्य-वार और उपयोगिता-वार बकाया राशि के बारे में जानना चाहा। इस संबंध में मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत जानकारी दी है:

विद्युत क्षेत्र से संबंधित कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की वर्ष-वार बकाया राशि निम्नानुसार है:

(क) 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार: 8,435.19 करोड़ रुपये।
(ख) 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार: 16,209.03 करोड़ रुपये ।
(ग) 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार: 21,624.91 करोड़ रुपये.।
(घ) 31.01.2022 की स्थिति के अनुसार: 15,097.01 करोड़ रुपये (अनंतिम)।

4.13 31.03.2019, 31.03.2020, 31.03.2021 और 31.01.2022 की स्थिति के अनुसार एससीसीएल के राज्य-वार बकाया को दर्शाने वाला विवरण निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

राज्य	उपभोक्ता	2019	2020	2021	31.01.2022
आंध्र प्रदेश	एपीजीईएनसीओ	235.21	319.18	128.90	419.40
कर्नाटक	केपीसीएल	298.84	394.82	257.14	712.53
महाराष्ट्र	एमएसईबी	42.38	192.48	120.17	69.59
तेलंगाना	एनटीपीसी	325.64	356.14	-494.99	-10.75
	टीएसजीईएनसीओ	1042.17	2057.88	2682.03	4429.58
	कुल	**1944.24**	**3320.51**	**2693.26**	**5620.35**

एनएलसीआईएल: 31.01.2021 की स्थिति के अनुसार, एनएलसी इंडिया लिमिटेड की बकाया राशि 5763.05 करोड़ रुपये है।

4.14 समिति ने समयबद्ध तरीके से उनकी बकाया राशि की वसूली के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानना चाहा, मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में निम्नवत बताया है:-

"कोयला बिक्री बकाया की सीआईएल और उसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा लगातार निगरानी की जाती है और जल्द वसूली के लिए उपभोक्ताओं के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। समय-समय पर, एसईबी/राज्य जेनकोस और सीपीएसयू के कोयला बिक्री बकाए खातों के निपटान के बाद वसूल किए जाते हैं। बकाया राशि की वसूली को आसान बनाने के लिए, सीआईएल ने एक ऑनलाइन बिल-टू-बिल समाधान पोर्टल

विकसित किया है, जिसके माध्यम से ऑनलाइन मिलान किया जाएगा और बकाए की बेहतर तरीके से निगरानी और वसूली की जाएगी। सीआईएल और कोयला कंपनियां वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के लिए द्विपक्षीय बैठकें भी सुनिश्चित कर रही हैं, और सीआईएल ने कोयला कंपनियों को अनुदेश दिया है कि जिन मामलों में वाणिज्यिक विवादों को द्विपक्षीय रूप से नहीं सुलझाया जा सकता है, उन्हें सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी) को भेजा जा सकता है। तदनुसार, सीआईएल और उसकी अनुषंगी कंपनियों ने विभिन्न विद्युत् संयंत्रों/बोर्डों से संबंधित सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी) के पास पहले ही कई दावे दायर किए हुए हैं। ईंधन आपूर्ति समझौते में विलंबित भुगतान पर ब्याज लगाने का भी प्रावधान है।

बकाए की वसूली के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम:

क) सचिव (कोयला) की ओर से सचिव (विद्युत) और कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मुख्य सचिवों को बकाया राशि के परिसमापन के लिए पत्र भेजे गए हैं।

ख) माननीय मंत्री (कोयला) की और से मंत्री (विद्युत्), उत्तर प्रदेश सरकार, मंत्री (विद्युत्), राजस्थान सरकार को बकाया के परिसमापन के लिए पत्र भेजे गए हैं।

ग) सीआईएल द्वारा शीघ्र वसूली के लिए उपभोक्ताओं के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। समय-समय पर, एसईबी/राज्य जेनकोस और

सीपीएसयू के कोयला बिक्री बकाए खातों के निपटान के बाद वसूल किए जाते हैं।

घ) सीआईएल और कोयला कंपनियां वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के लिए द्विपक्षीय बैठकें भी सुनिश्चित कर रही हैं, और सीआईएल ने कोयला कंपनियों को अनुदेश दिया है कि जिन मामलों में वाणिज्यिक विवादों को द्विपक्षीय रूप से नहीं सुलझाया जा सकता है, उन्हें सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी) को भेजा जा सकता है। तदनुसार, सीआईएल और उसकी अनुषंगी कंपनियों ने विभिन्न विद्युत् संयंत्रों/बोर्डों से संबंधित सीपीएसई विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र (एएमआरसीडी) के पास पहले ही कई दावे दायर किए हुए हैं। ईंधन आपूर्ति समझौते में विलंबित भुगतान पर ब्याज लगाने का भी प्रावधान है।"

ङ. कोयले की चोरी

4.15 मंत्रालय ने बताया है कि जुलाई, 2018 में मोबाइल ऐप 'खनन प्रहरी' के साथ कोयला खनन निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) नामक एक वेब-आधारित एप्लिकेशन शुरू किया गया था। कोयला खनन निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) एक वेब जीआईएस आधारित एप्लिकेशन है, जो अवैध खनन कार्यों का पता लगाने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करता है, जो आबंटिती की लीजहोल्ड सीमाओं से परे है। यह 'खनन प्रहरी' नामक एक मोबाइल ऐप का भी उपयोग करता है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक अनधिकृत खनन गतिविधि / घटना की रिपोर्ट कर सकता है। प्राप्त शिकायत को दिए गए स्थान पर सत्यापित किया जाता है और सीआईएल अनुषंगी कंपनियों और राज्य

सरकारों में नामित नोडल अधिकारियों द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। इस मोबाइल एप के माध्यम से कोई भी नागरिक अवैध खनन की घटना की रिपोर्ट कर सकता है। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई) में मासिक रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसे सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजा जाता है।

4.16 इस मोबाइल ऐप में विभिन्न कोयला उत्पादक राज्यों की प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने एक साक्ष्योपरांत उत्तर में बताया है कि जनवरी, 2022 तक सीएमएसएमएस / खनन प्रहरी के माध्यम से की गई शिकायतों की संचयी स्थिति और इन शिकायतों पर विभिन्न राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई की स्थिति को **अनुबंध-एक** के रूप में संलग्न किया गया है।

4.17 जहां तक अवैध खनन को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा की गई वाहन यातायात प्रणाली, सीसीटीवी, आरएफआईडी टैग के संबंध में आईटी पहल का संबंध है, मंत्रालय ने जनवरी, 2022 तक के महीनों के लिए विभिन्न आईटी पहलों पर अनुषंगी-वार रिपोर्ट दी है, जिसे **अनुबंध-दो** के रूप में संलग्न किया गया है।

च. कोयला ब्लॉकों का आवंटन

4.18 समिति को बताया गया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 204 कोयला खानों के आवंटन को रद्द अब कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत आवंटित किया जा रहा है। अधिनियम के उपबंधों के तहत, अब तक कुल 120 कोयला खानों का आवंटन किया जा चुका है। इसमें से 14 कोयला खानों का आवंटन रद्द कर दिया गया है। शेष 106 कोयला खानों में से 46 कोयला खानों को नीलामी के माध्यम से आवंटित किया गया है, जबकि 60

को आवंटन के माध्यम से आवंटित किया गया है। नीलामी की गई 46 खानों में से 16 खानों को खान खोलने की अनुमति मिल गई है (उत्पादन के तहत 15)। आवंटित 60 खानों में से 27 खानों को खान खोलने की अनुमति (19 उत्पादन के तहत) मिल चुकी है। 106 कोयला खानों की स्थिति निम्नवत है:-

सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 के तहत आवंटित कोयला खानों की स्थिति (106 खान)								
क्र.सं.	आवंटन का तरीका	अनुसूची	अंतिम उपयोग "विद्युत्"	अंतिम उपयोग "एनआरएस"	कोयले की बिक्री	कुल	प्रचालनरत कोयला खान	उत्पादन कर रहे खान
1	नीलामी	दो	4	10	5	19	15	14
		तीन	2	9	0	11	1	1
		एक	0	1	15	16	0	0
	उप-योग		**6**	**20**	**20**	**46**	**16**	**15**
2	आवंटन	दो	17	0	1	18	15	13
		तीन	23	2	2	27	12	6
		एक	2	0	13	15	0	0
	उप-योग		**42**	**2**	**16**	**60**	**27**	**19**
कुल			**48**	**22**	**36**	**106**	**43**	**34**

नीलाम की गई कोयला खानें - कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के उपबंधों के तहत नीलाम की गई 19 अनुसूची दो कोयला खानों (कोयला खानें जो रद्द होने के समय चालू थीं) में से 15 कोयला खानों में खान खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, 11 अनुसूची तीन कोयला खानों में से 1 कोयला खान को खनन शुरू करने की अनुमति दी गई है और इसने कोयला उत्पादन शुरू कर दिया है।

आवंटित कोयला खानें – आज की तिथि के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) / जेनकोस को आवंटित 18 अनुसूची दो कोयला खानों (कोयला खानें जो रद्द होने के समय चालू थीं) में से, 15 कोयला खानें चालू हैं / खनन शुरू हो गया है। शेष 42 (27 अनुसूची तीन + 15 अनुसूची एक) कोयला खानों में से 12 कोयला खानों को खनन शुरू करने की अनुमति मिल गई है।

दिसंबर, 2021 तक कुल राजस्व 10796.82 करोड़ रुपये (रॉयल्टी, कर, उप-कर आदि को छोड़कर) है।

सीएमएसपी अधिनियम, 2015 के तहत दिसंबर 2021 तक खान आवंटन के समय से उत्पादित कुल कोयला 176.83 मिलियन टन है, जिसमें से वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, दिसंबर 2020 तक 40.15 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हुआ है।

4.19 कोयला ब्लॉकों के आवंटन के मुद्दे पर, कोयला मंत्रालय के सचिव ने 23.2.2022 को आयोजित साक्ष्य के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि पहले की नीलामी में लोग रुपये प्रति टन के आधार पर बोली लगाते थे। अब, यह राष्ट्रीय कोयला सूचकांक पर आधारित है। जैसे-जैसे कोयले की लागत के कारण राष्ट्रीय कोयला सूचकांक बढ़ रहा है, मंत्रालय को राज्यों को जितना प्रतिशत देना होता है, उसमें भी वृद्धि होगी।

4.20 मंत्रालय के प्रतिनिधि ने यह भी बताया कि कोयला ब्लॉक आवंटन के संबंध में कहना है कि वर्ष 2014 और 2020 के बीच, मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के

उपक्रमों और गैर-पीएसयू दोनों के लिए देश में 97 कोयला ब्लॉकों की नीलामी की है। नई कार्यप्रणाली के बाद, मंत्रालय ने 42 कोयला ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। सचिव कोयला ने वर्ष 2015-16 में उल्लेख किया था कि इन खानों से कोयले का उत्पादन 28.82 मिलियन टन था, जबकि इस वर्ष 2021-22 में जनवरी, 2022 तक उत्पादन 68 मिलियन टन तक पहुंच गया है और इस वर्ष के अंत तक इसके देश के लिए आवंटित कोयला ब्लॉकों से लगभग 90 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है। । पिछले वर्ष की तुलना में, यह वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान बहुत कम था, यह 63 मिलियन टन है जो बहुत अच्छी प्रगति है। वर्ष 2022-23 के दौरान, कोयला उत्पादन के 120 मिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है, जो पुनः एक रिकॉर्ड होगा।

छ. फर्स्ट माईल कनेक्टिविटी

4.21 समिति को बताया गया है कि निकासी सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए रेल के माध्यम से कोयले की निकासी के लिए 44 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं की दो चरणों में योजना बनाई गई है। इनमें से प्रथम चरण में 35 परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2023-24 तक 414.5 एमटीपीए की क्षमता के साथ कार्यान्वित किया जाना है। 07.02.2021 की स्थिति के अनुसार, पहले चरण में 35 एफएमसी परियोजनाओं में से, 6 एफएमसी परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं और शेष कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने की निर्धारित समय-सीमा वर्ष 2023-24 तक है। अन्य 9 परियोजनाएं (पीएच-दो के तहत) शुरू की गई हैं, जो लगभग 57 एमटीवाई कोयले को भेजने का कार्य करेंगी। 34 एफएमसी परियोजनाओं के लिए एलओए/कार्य दिया गया है। एक एफएमसी परियोजना में निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दूसरे चरण की 9 परियोजनाओं के लिए एनआईटी तैयार किए जा रहे हैं।

4.22 समिति ने यह जानना चाहा कि निधियां उपलब्ध कराने और कोयला निकासी के लिए रेल परियोजनाओं की प्रगति और सफलता सुनिश्चित करने की कार्य योजना के बारे में जानना चाहा:-

"मंत्रालय ने एक लिखित उत्तर में बताया है कि चरण -एक की सभी 35 एफएमसी परियोजनाओं के लिए सीआईएल अनुषंगियों द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों से निधियां दी जा रही हैं। प्रगति और सफलता सुनिश्चित करने के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा इन परियोजनाओं की नियमित रूप से निगरानी की जाती है।"

4.23 साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय के एक प्रतिनिधि ने समिति को यह भी बताया कि:-

"इसके अलावा, मंत्रालय ने रेलवे लाइन जैसी कुछ अन्य अवसंरचनात्मक परियोजनाएं भी ली हैं। मंत्रालय ने लगभग 20,000 करोड़ रुपये की लागत से सात रेलवे लाइनों का कार्य लिया है। यह पूरी तरह से सीआईएल संसाधनों द्वारा वित्त पोषित है। मंत्रालय ने सड़कों का निर्माण कार्य लिया है और वैगन की खरीद के लिए भी पैसा रखा है। इसलिए, कोयला निकासी और कोयला अवसंरचना का विकास कोयला मंत्रालय की प्राथमिकता में है।"

4.24 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी के लाभों के संबंध में, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान बताया कि उन्होंने एफएमसी परियोजनाओं के लाभों पर सीएसआईआर-नीरी द्वारा एक अध्ययन कराया है। फिर, पार्टिकुलेट, कार्बन फुटप्रिंट,

गैसीय प्रदूषक, परिवेशी ध्वनि स्तर आदि में उल्लेखनीय कमी आई है। यह भी बताया गया कि फर्स्ट-माइल कनेक्टिविटी परियोजनाओं से पर्यावरणीय लाभों के अलावा, पैसे की बचत भी होती है। डीजल में ही लिंगराज खानों में 50 करोड़ रुपये और गेवरा खानों में 23 करोड़ रुपये की बचत होती है।

ज. <u>**कोयले का आयात**</u>

4.25 समिति को बताया गया है कि कोयले का आयात जो वर्ष 2014-15 में 217.78 एमटी के शिखर पर पहुंच गया था, जो अगले दो वर्षों तक लगातार गिरकर वर्ष 2015-16 में 203.95 मीट्रिक टन और 2016-17 में 190.95 मीट्रिक टन हो गया। वर्ष 2017-18 से कोयले का आयात बढ़ रहा है, जहां कोयले का आयात 208.25 मीट्रिक टन था जो कि वर्ष 2018-19 में बढ़कर 235.35 मीट्रिक टन, वर्ष 2019-20 में 248.54 मीट्रिक टन हो गया। वर्ष 2020-21 के दौरान, कोयले का आयात 215.25 मीट्रिक टन था।

कोयले की मांग देश में कोयले की घरेलू आपूर्ति के मौजूदा स्तर से अधिक है। कोयले की पूरी मांग घरेलू उत्पादन से पूरी नहीं होती है क्योंकि देश में उच्च गुणवत्ता वाले कोयले/कोकिंग कोल (लो-ऐश-कोयला) की आपूर्ति सीमित है और इस प्रकार कोकिंग कोल के आयात का सहारा लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इसके अलावा, आयातित कोयले पर डिजाइन किए गए बिजली संयंत्रों द्वारा आयातित कोयले और सम्मिश्रण उद्देश्यों के लिए आवश्यक उच्च ग्रेड कोयले को घरेलू कोयले द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।

आयातित कोयले (कोकिंग कोल) की आवश्यकता के संबंध में, कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने मौखिक साक्ष्य के दौरान समिति के समक्ष उपस्थित होते हुए अन्य बातों के साथ-साथ यह बताया कि वर्ष 2021-22 के दौरान बिजली

की मांग आधार वर्ष के रूप में पिछले वर्ष की तुलना में 8.5 प्रतिशत बढ़ी है। आम तौर पर बिजली की यह मांग पिछले वर्ष की तुलना में 5% तक बढ़ जाती है। कुल ताप विद्युत (कोयला, डीजल, लिग्नाइट और गैस सहित) में 11.2% की वृद्धि हुई। घरेलू कोयले की आपूर्ति के आधार पर थर्मल पावर हाउसों से यह बिजली वृद्धि 16.9 फीसदी थी, तथापि, आयातित कोयले के आधार पर बिजली उत्पादन में कमी आई, हालांकि, घरेलू कोयले द्वारा इसका अनुपूरण किया गया था। चालू वर्ष के दौरान, ताप विद्युत संयंत्रों के लिए आयातित कोयले की कुल मांग में 50% की कमी आई है। कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समिति को आश्वासन दिया कि चालू वर्ष (2021-22) और अगले वर्ष (2022-23) के दौरान आयातित कोयले (कोकिंग कोल और जीसीवी कोयला) की मांग न्यूनतम होगी।

4.26 इसके अलावा, समिति को निम्नवत जानकारी दी गई:-

"आयात निर्भरता को कम करने और स्वदेशी कोयले की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए, सीआईएल ने अपने ग्राहकों को कई रियायतें और लाभ दी हैं। इसमें सम्मिलित है:-

(क) अक्टूबर, 2020 में विशेष रूप से कोयला आयातकों के लिए एक नई ई-नीलामी विंडो खोलना।

(ख) सम्मिश्रण उद्देश्य के लिए घरेलू कोयले से कोयले के आयात को प्रतिस्थापित करने के लिए, अनुषंगी कोयला कंपनियों को उनसे जुड़े 17 बिजली संयंत्रों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी गई।

(ग) फ्लेक्सी-यूटिलाइजेशन के तहत केंद्रीय और राज्य जेनको को अतिरिक्त कोयले का आवंटन, जिससे वे कोयले के आयात को टाल सकें।

(घ) बिजली संयंत्रों के लिए वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) को 90% की मानक आवश्यकता से 100% तक बढ़ाना।

(ङ) वार्षिक अनुबंध मात्रा (एसीक्यू) के 100% तक ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) की तुलना में गैर-विनियमित क्षेत्रों को कोयले की बढ़ी हुई मात्रा की पेशकश करना।

(च) विद्युत क्षेत्र के लिए विशिष्ट एफएसए के तहत ट्रिगर स्तर को 75% से बढ़ाकर 80% करना।

यदि सीआईएल ने इस आविष्कार को अनुकूलित नहीं किया होता, तो कई पहलों के संचयी प्रयास के परिणामस्वरूप 90 मिलियन टन कोयले के आयात पर अंकुश लगता, ग्राहकों के पास आयात कर कोयला लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता।

झ. कार्बन फुटप्रिंट कम करना

4.27 समिति ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने में कोयला क्षेत्र के योगदान के बारे में जानना चाहा। मंत्रालय ने निम्नवत बताया:

"जीएचजी उत्सर्जन के लिए अकेले कोयला खनन का प्रत्यक्ष योगदान महत्वहीन है क्योंकि कोयला खनन में कोयले को जलाना शामिल नहीं है। तथापि, कोयला क्षेत्र ने कार्बन/जीएचजी उत्सर्जन के स्रोतों पर अंकुश लगाने और खनन के समग्र कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए विभिन्न शमन-केंद्रित गतिविधियां शुरू की हैं:

1. नवीकरणीय को बढ़ावा देना: 31.01.2022 की स्थिति के अनुसार, कोयला / लिग्नाइट पीएसयू ने ~ 1650 मेगावाट की नवीकरणीय क्षमता स्थापित की है और वित्त वर्ष 2023-24 तक अतिरिक्त ~ 4 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता स्थापित करने की योजना बनाई गई है।

2. कार्बन सिंक का निर्माण: स्थापना के समय से, कोयला / लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कोयला क्षेत्रों में और उसके आसपास लगभग 56000 हेक्टेयर क्षेत्र को हरित कवर के तहत लाया है, इस प्रकार महत्वपूर्ण कार्बन ऑफसेट क्षमता सृजित की है। इसके अलावा, अगले 5 वर्षों के दौरान 12000 हेक्टेयर से अधिक अतिरिक्त क्षेत्र को हरित क्षेत्र में लाने की योजना है।

3. फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं: सड़क परिवहन को यांत्रिक रैपिड लोडिंग के साथ बेल्ट कन्वेयर परिवहन द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए एफएमसी परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है। पहले चरण में, वर्ष 2023-24 तक ऐसी 39 एफएमसी परियोजनाओं को चालू करने की योजना है। नीरी द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार, इन एफएमसी परियोजनाओं से डीजल की खपत कम होगी; वाहन घनत्व में बहुत कमी आएगी, जिसके परिणामस्वरूप कार्बन उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आएगी।

4. ऊर्जा दक्षता उपाय: ऊर्जा संसाधनों का कुशल उपयोग और उनका संरक्षण अत्यधिक महत्व रखता है क्योंकि खपत स्तर पर बचाई गई ऊर्जा की एक इकाई अंततः कार्बन फुटप्रिंट में कमी लाती है। कोयला/लिग्नाइट सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विभिन्न ऊर्जा संरक्षण और दक्षता के उपाय कर रहे हैं जैसे एलईडी लाइट्स, ऊर्जा कुशल एसी, सुपर पंखे, ई-वाहन, कुशल वॉटर हीटर, स्ट्रीट लाइट में ऑटो टाइमर, कैपेसिटर बैंक, भारी शुल्क खनन मशीनरी आदि में एलएनजी के उपयोग को बढ़ावा देना।

इसके अलावा, सीआईएल और सहायक कंपनियों में ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सीआईएल ने ईईएसएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट्स (बीईईपी), पुराने पंखे, एसी और पारंपरिक लाइट फिटिंग, मोटर्स को प्रतिस्थापित करना, ई-वाहन को अपनाने, संवितरित और रूफटॉप सोलर परियोजनाओं का प्रतिस्थापन को शामिल किया जाएगा।

5. तीन (3) कोल बेड मीथेन (सीबीएम) परियोजनाएं, जिसमें कार्बन फुट प्रिंट में काफी कमी लाने की संभावना है, पाइपलाइन में हैं। सीआईएल की आगामी सीबीएम परियोजनाओं का उद्देश्य कोल बेड मीथेन पर नियंत्रण करना है, जिससे खनन के समय वातावरण में इसके उत्सर्जन को सीमित किया जा सके।

6. भूतल कोयला गैसीकरण (एससीजी): अपेक्षाकृत कम कार्बन फुटप्रिंट वाले कोयले के वैकल्पिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एससीजी परियोजनाओं (2030 तक 100 मिलियन टन (एमटी) कोयला) को शुरू करने की योजना बनाई गई है।"

भाग-दो

टिप्पणियाँ और सिफारिशें

निधि आवंटन

1. समिति नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कोयला मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों/ योजनाओं के लिए आवंटित 534.88 करोड़ रु. के बीई की तुलना में संशोधित अनुमानों (आरई) को संशोधित करके 644.09 करोड़ रुपये किया गया और दिसंबर, 2021 तक 360.97 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है । यद्यपि मंत्रालय को पूर्ण उपयोग की आशा है, उन्होंने बताया है कि अन्वेषण एजेंसियों की सीमित उपलब्धता, मध्यम से बड़े वन कवर, बीहड़ स्थलाकृति, प्रतिकूल कानून और व्यवस्था की स्थितियाँ और विशेष भूमि काश्तकारी अधिनियम के कारण बजट के पूर्वोत्तर घटक का उपयोग नहीं किया जा सका। समिति महसूस करती है कि इन बाधाओं के बावजूद सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाएं चला रही है और इसलिए, कोयला मंत्रालय से यह सिफ़ारिश करती है कि वह अन्य आवश्यक कदमों के अलावा अपनी परियोजनाओं को पूर्वोत्तर में मिशन मोड में चलाए ताकि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत में निधियों का पूरा उपयोग किया जा सके। समिति नोट करती है कि मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों के साथ बात कर रहा है और यह चाहती है कि उसे पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई आवश्यक सहायता के बारे में भी अवगत कराया जाए ताकि क्षेत्र विस्तृत, क्षेत्रीय और संवर्धानात्मक अन्वेषण किया जा सके।

<u>योजना परिव्यय</u>

2. समिति आगे नोट करती है कि कोयला मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए 1183.50 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमान लगाया था जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा घटाकर 314.54 करोड़ रु कर दिया गया। वार्षिक बजटीय आवंटन में कटौतियों के साथ, समिति यह महसूस करती है कि वर्ष के दौरान कोयला मंत्रालय की विभिन्न परियोजनाओं/योजनाओं/कार्यों को पूरा करने में कमी आएगी जिससे कोयला उत्पादन, सुरक्षा और कोयले की निकासी भी प्रभावित होगी। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि कोयला मंत्रालय को नियत समय में अपने वार्षिक योजना आवंटन विशेषकर विस्तृत अन्वेषण और संवर्धनात्मक ड्रिलिंग की समीक्षा करनी चाहिए और जैसाकि उन्होंने इच्छा व्यक्ति की है, संशोधित अनुमान के स्तर पर बढ़े हुए आवंटन की मांग करनी चाहिए। समिति चाहती है कि उसे 2025-26 तक अन्वेषण के लिए आवश्यक निधियों के संबंध में मंत्रालय के नोट की मंजूरी की स्थिति से अवगत कराया जाए।

<u>अनुसंधान और विकास</u>

3. समिति पाती है कि कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) कार्यों में सहायता करने हेतु कोयला सचिव के अधीन स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) द्वारा अनुसंधान एवं विकास/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना संचालित की जाती है। समिति यह पाती है कि आर एंड डी के लिए, वर्ष 2020-21के बजट अनुमान में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, हालांकि, संशोधित अनुमान के स्तर पर आवंटन को घटाकर 12.00 करोड़ रुपये कर दिया

गया और वास्तविक व्यय 9.97 करोड़ रुपये था। वर्ष 2021-22 में बजट अनुमान के स्तर पर 18 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, किंतु संशोधित अनुमान के स्तर पर आवंटन को घटाकर 11.50 करोड़ रूपए कर दिया गया और इसकी तुलना में मंत्रालय ने जनवरी, 2022 तक विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को 8.35 करोड़ रू. वितरित किया। समिति ने आगे देखा है कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत के विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और जनजातीय उप-योजना तहत के आवंटित निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका क्योंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से लाभकारी अनुसंधान एवं विकास निधियों के उपयोग हेतु संवितरण के लिए कोई दिशानिर्देश नहीं थे। चूंकि मंत्रालय, इस वर्ष दिशानिर्देश/तौर-तरीके जारी करने की आशा कर रहा है, इसलिए, समिति चाहती है कि मंत्रालय को भविष्य में अनुसूचित जाति और जनजातीय उप-योजना के तहत आवंटित निधियों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए मामले में आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

4. समिति नोट करती है कि यद्यपि, मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के दौरान अपने अनुसंधान कार्यों के लिए 20.00 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया था, 10.00 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के विकास, कोयला खानों में सुरक्षा और पारिस्थितिकी की सुरक्षा और एक सुरक्षित और संरक्षित स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों के लिए पर्याप्त बजटीय सहायता की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, समिति चाहती है कि सरकार शुरू किए गए सभी अनुसंधान एवं विकास कार्यों की और कोयला कंपनियों द्वारा उनके वाणिज्यिक उपयोग की बारीकी से निगरानी करे। समिति यह

भी सिफारिश करती है कि वर्ष 2022-23 के दौरान आरएंडडी के लिए यदि आवश्यक हो, तो संशोधित अनुमान स्तर पर अतिरिक्त धनराशि मांगी जाए।

प्रचार (क्षेत्रीय) अन्वेषण

5. समिति नोट करती है कि कोयला मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, कोयला और लिग्नाइट के लिए प्रचार (क्षेत्रीय) अन्वेषण का उद्देश्य, विभिन्न क्षेत्रों में कोयले की उपलब्धता का आकलन करने के लिए प्रारंभिक ड्रिलिंग करना है और इसे विभिन्न एजेंसियों अर्थात सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई), मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमईसीएल)और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। समिति नोट करती है कि प्रोमोशनल एक्सप्लोरेशन स्कीम के तहत, वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान स्तर पर 130 करोड़ रुपये का बजट परिव्यय संशोधित अनुमान के स्तर पर घटाकर 120 करोड़ रुपये कर दिया गया और जनवरी, 2022 तक 98.68 करोड़ रुपए के वास्तविक उपयोग का आकलन किया गया है। फिर भी, वर्ष 2021-22 के दौरान 1.50 लाख मीटर के वास्तविक लक्ष्य की तुलना में 1.47 लाख मीटर ड्रिलिंग की गई। जैसाकि मंत्रालय द्वारा समिति को बताया गया है, वर्ष 2021-22 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र घटक को छोड़कर योजना के तहत निधियों का 100 प्रतिशत उपयोग किया गया था। समिति उक्त योजना के तहत निधियों के उपयोग और वास्तविक लक्ष्य की उपलब्धि की सराहना करते हुए यह भी चाहती है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अप्रयुक्त क्षमता का दोहन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है और इसलिए, अपनी बात को दोहराते हुए कोयला मंत्रालय से यह सिफ़ारिश करती है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में कोयले और लिग्नाइट के लिए प्रोत्साहन अन्वेषण की योजना के वास्तविक और वित्तीय लक्ष्यों को भी वर्ष 2022-23 के दौरान हासिल किया जाए।

6. समिति ने यह पाया है कि मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 176 करोड़ रुपये के प्रस्तावित आवंटन की तुलना में कोयला और लिग्नाइट योजना के लिए प्रोमोशनल (क्षेत्रीय) अन्वेषण के तहत, बजट अनुमान स्तर पर 75 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में केवल 2डी/3डी भूकंपीय सर्वेक्षण के साथ लगभग 0.40 लाख मीटर ड्रिलिंग के लिए 75 करोड़ रुपये का परिव्यय पर्याप्त है और क्षेत्रीय अन्वेषण में 1.50 लाख मीटर और 2डी भूकंपीय सर्वेक्षण के प्रस्तावित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्ष2022-23 के संशोधित अनुमान में 176 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसलिए, समिति चाहती है कि मंत्रालय इस योजना के तहत संशोधित अनुमान स्तर पर निधियों के अधिक आवंटन के लिए इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाए ताकि वर्ष 2022-23 के दौरान क्षेत्रीय अन्वेषण के प्रस्तावित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

<u>गैर-सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग</u>

7. समिति नोट करती है कि सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई) सीआईएल और गैर-सीआईएल ब्लॉकों में सख्त समय सीमा के अनुसार विस्तृत ड्रिलिंग करता है ताकि संकेतित और अनुमानित श्रेणी में आने वाले संसाधनों को मापा (सिद्ध) श्रेणी में लाया जा सके। समिति ने पाया है कि योजना के तहत गैर सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग, बीई, 2021-22 में 200 करोड़ रुपये को आरई स्तर पर बढ़ाकर 350.05 करोड़ रुपये कर दिया गया था और जनवरी, 2022 तक 180 करोड़ रु का वास्तविक व्यय हुआ। समिति को सूचित किया गया है कि एनईआर घटक को छोड़कर 100% निधि का उपयोग वर्ष 2021-22 की अनुमानित उपलब्धि को पूरा करने और पिछले वर्ष के 287 करोड़ रुपये के बकाया को चुकाने के लिए किया जाएगा। समिति ने यह भी पाया है कि

मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 895 करोड़ रुपये के अनुमान के मुकाबले वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में 175 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और वर्तमान परिव्यय को 7.50 लाख मीटर के प्रस्तावित लक्ष्य के मुकाबले केवल 1.60 लाख मीटर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ही पर्याप्त बताया गया है। गैर सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की योजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए और 7.50 लाख मीटर ड्रिलिंग के अनुमानित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, समिति यह सिफारिश करती है कि सरकार 175 करोड़ रुपये के वर्तमान बजटीय आवंटन की समीक्षा करे और अनुमानित वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसे आरई चरण (2022-23) पर बढ़ाया जाये।

<u>कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा</u>

8. समिति पाती है कि कोयला खान योजना में संरक्षण और सुरक्षा के तहत कोयले के संरक्षण के पहलू को नियोजन चरण से ही ध्यान में रखा जाता है और कार्यान्वयन चरण के दौरान अधिकतम वसूली सुनिश्चित की जाती है। समिति नोट करती है कि कोयला कंपनियों के लिए सुरक्षा को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता माना जाता है। समिति ने पाया है कि इस घटक के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के लिए बजटीय आवंटन, बजट अनुमान (बीई) स्तर पर 10करोड़ रुपये था जिसे संशोधित अनुमान (आरई) स्तर पर घटाकर करोड़ रुपये कर दिया गया और वास्तविक 6 व्ययरूपए करोड़ 5.72 रूपये था। इसी प्रकार ,वर्ष 2021-22 के दौरान बीई स्तर पर 6करोड़ रुपये आवंटित किए गए और इसे संशोधित अनुमान के स्तर पर घटाकर 4.50 करोड़ रूपए कर दिया गया और जनवरी ,2022 तक वास्तविक व्यय करोड़ 3.73 रु. था। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान 4करोड़ रु. है । समिति को सूचित किया गया है कि वित्त मंत्रालय कोयला

मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत वर्ष 2019-20 से लगातार कुल धनराशि में कमी कर रहा है और तदनुसार ,इस उप-योजना के तहत धनराशि कम कर दी गई है। समिति का सुविचारित मत है कि कोयला खनन उद्योग में उच्च उत्पादकता के बड़े लक्ष्यों का कोयला खदानों में श्रमिकों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए निरंतर प्रयासों के साथ तालमेल बिठाया जाना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में, समिति चाहती है कि कोयला मंत्रालय इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उठाए और आरई चरण)2022-23) पर संवर्धित बजटीय सहायता की मांग की जाये और समिति को इससे अवगत कराया जाए।

.9 समिति नोट करती है किवर्ष 2021के दौरान कोयला /लिग्नाइट खानों में घातक दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या क्रमशः 27और 29बताई गईं थी , जबकि वर्ष 2021के दौरान 57 गंभीर दुर्घटना और 61 गंभीर चोटें बताई गईं थी। समिति यह भी पाती है कि मंत्रालय और सरकारी क्षेत्र के कोयला/लिग्नाइट उपक्रमों द्वारा दुर्घटनाओं ,मौतों ,गंभीर दुर्घटनाओं और गंभीर चोटों की संख्या कम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इसलिए समिति ,का विचार है कि दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या को और कम करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है जो केवल नवीन प्रौद्योगिकियों के उपयोग से संभव है। इस संबंध में, मंत्रालय ने ड्रोन का प्रयोग, रिमोट ऑपरेशन टेक्नोलॉजी, अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, डस्ट सप्रेशन सिस्टम इत्यादि जैसी नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाने, जो कि समय की मांग है, के बारे में बताया। खान बचाव नियमों के तहत प्रशिक्षण सुविधाएं हैं। समिति का सुझाव है कि कौशल उन्नयन के लिए संस्थागत व्यवस्था और कोयला लिग्नाइट खनन क्षेत्रों में/कार्यरत कार्य बल के उपयुक्त प्रशिक्षण पर बल दिया जाए। इस संबंध में, समिति पिछले वर्षों के दौरान 3कौशल उन्नयन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम और कोयला लिग्नाइट कंपनियों द्वारा/किए गए खनन कार्यों के

प्रौद्योगिकीय उन्नयन जैसे कदमों से भी अवगत होना चाहती है। समिति यह भी चाहती है कि मंत्रालय खान श्रमिकों के लिए सुरक्षा बढ़ाने हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के लिए अपने प्रयास तेज करे।

कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना का विकास

10. समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के लिए कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना के विकास के तहत बजटीय प्रावधान 65.48 करोड़ रुपये था और जनवरी, 2022 तक वास्तविक व्यय 58.23 करोड़ रुपये है। 7.25 करोड़ रुपये की अप्रयुक्त निधियाँ एनईआर घटक (6.55 करोड़ रुपये) और सामान्य घटक (0.70 करोड़ रुपये) के तहत हैं। चूंकि, इन घटकों के अंतर्गत कोई मांग लंबित नहीं है; इसलिए, इन निधियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। समिति यह भी नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कोलफील्ड क्षेत्रों में परिवहन अवसंरचना के विकास हेतु 72 करोड़ रुपये की अनुमानित आवश्यकता के मुकाबले 50.04 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान आवंटित निधियाँ पर्याप्त नहीं होंगी क्योंकि अनुसूचित जाति एवं जनजातीय उपयोजना घटक के तहत प्रतिपूर्ति के लिए 44 करोड़ रुपये लंबित हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि केंद्र सरकार द्वारा सड़कों के विकास और रेल अवसंरचना के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, समिति ने सिफारिश की है कि कोयला मंत्रालय को संशोधित अनुमान के स्तर पर वर्ष 2022-23 के लिए योजना के तहत बढ़ी हुई बजटीय सहायता की मांग करनी चाहिए। समिति यह भी सिफारिश करती है कि सरकार को पूर्वोत्तर घटक के रूप में निर्धारित कोयला मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत निधियों के उपयोग की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए क्योंकि ये निधियां साल-दर-साल अप्रयुक्त रहती हैं।

पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण (ईएमएससी)

11. समिति समझती है कि सरकार द्वारा अगस्त, 2009 में स्वीकृत भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) के पट्टे पर झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स में 10 वर्षों की अवधि में 9773.84 करोड़ रुपये के निवेश से स्वीकृत सतही अवसंरचना के आग, धंसने, पुनर्वास और विपथन से संबंधित मास्टर प्लान में सभी पर्यावरणीय उपाय और धंसाव नियंत्रण (ईएमएससी) स्कीमों का विलय कर दिया गया है। समिति ने यह भी नोट किया है कि इसे आंशिक रूप से सीआईएल के आंतरिक संसाधनों द्वारा और आंशिक रूप से कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 के तहत उत्पाद शुल्क लगाने से एकत्र की गई राशि से वित्त पोषित किया जा रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड को पहले अपने आंतरिक संसाधनों से 350 करोड़ रुपये खर्च करने की आवश्यकता थी और इतनी ही राशि सकल बजटीय सहायता से वित्त पोषित की जानी थी। हालांकि सीआईएल बार-बार अपना हिस्सा खर्च नहीं कर पाई है। झरिया और रानीगंज कोलफील्ड के लिए मास्टर प्लान के कार्यान्वयन की अवधि 11.08.2019 को पहले ही समाप्त हो चुकी है। समिति ने पाया कि 19वीं एचपीसीसी बैठक के निर्देशानुसार, ईसीएल द्वारा केंद्रीय खान योजना और संस्थान लिमिटेड- (सीएमपीडीआई), आरआई-1 और एडीडीए और बीसीसीएल के परामर्श से सीएमपीडीआई आरआई-II और जेआरडीए के परामर्श से वैकल्पिक पुनर्वास पैकेज, समय और लागत में वृद्धि को शामिल करते हुए व्यापक मसौदा प्रस्ताव तैयार किए गए थे। दोनों प्रस्तावों के संशोधन को क्रमशः झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकारों के स्तर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है। समिति यह नोट करती है कि झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स में पर्यावरणीय मुद्दों, जिनके लिए मास्टर प्लान को 2009 में मंजूरी दी गई थी, पर शायद अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। समिति नोट करती है कि अब इस

प्रयोजनार्थ एक संशोधित मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है और यह झारखंड और पश्चिम बंगाल सरकार के पास लंबित बताया जाता है। इसलिए, समिति यह सिफारिश करती है कि कोयला मंत्रालय को संबंधित राज्य सरकारों के साथ इस मामले को निरंतर उठाना चाहिए ताकि संशोधित मास्टर प्लान को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जा सके और दोनो कोलफील्ड में जमीनी स्तर पर स्थिति को बेहतर बनाया जा सके।

<u>सरकारी क्षेत्र के कोयला/लिग्नाइट उपक्रमों का वास्तविक निष्पादन</u>

12. समिति नोट करती है कि सीआईएल, एससीसीएल और एनएलसीआईएल द्वारा 2022-23 के दौरान कोयला उत्पादन के लिए निर्धारित वास्तविक लक्ष्य क्रमशः 700 मिलियन टन, 72 मिलियन टन और 8 मिलियन टन हैं। समिति ने पाया कि 2021-22 के दौरान सीआईएल ने 670 मीट्रिक टन कोयला उत्पादन के अनुमानित वास्तविक लक्ष्य की तुलना में, 23 फरवरी, 2022 तक वास्तविक उत्पादन 530.48 मीट्रिक टन (अनंतिम) किया। एससीसीएल के मामले में 2021-22 के दौरान 68 मीट्रिक टन के अनुमानित कोयला उत्पादन लक्ष्य की तुलना में, जनवरी, 2022 तक वास्तविक उत्पादन 57.52 मीट्रिक टन रहा है। एनएलसीआईएल के मामले में, समिति इस बात से प्रसन्न है कि 3.50 मीट्रिक टन के कोयला उत्पादन लक्ष्य की तुलना में एनएलसीआईएल के मामले में जनवरी, 2022 तक वास्तविक उपलब्धि 4.85 मीट्रिक टन रही है। जहां तक कोयले के उत्पादन में कमी का संबंध है, कोयला कंपनियों द्वारा भूमि अधिग्रहण की समस्या, भूमि के वास्तविक कब्जे में देरी, आर एंड आर के मुद्दे, अतिक्रमण के मुद्दे, वानिकी और पर्यावरणीय मंजूरियों में विलंब, निकासी और रसद बाधाएं, कानून और व्यवस्था की समस्या, कोविड-19 की दूसरी लहर और ओपनकास्ट

खानों में ब्लास्टिंग के लिए विस्फोटकों की कमी आदि को कोयला कंपनियों द्वारा कम कोयला उत्पादन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। समिति मानती है कि सीआईएल और एससीसीएल के संबंध में कम उत्पादन लक्ष्य के लिए जिम्मेदार कारकों पर गौर किया जा रहा है और समिति को विश्वास है कि मंत्रालय/सरकारी क्षेत्र के कोयला उपक्रम कोयला उत्पादन को प्रभावित करने वाले मुद्दों के समाधान के लिए निरंतर गंभीर प्रयास करेंगे ताकि 2022-23 के लिए निर्धारित 780 मिलियन टन उत्पादन प्राप्त करेंगे।

13. समिति नोट करती है कि कोविड-19 महामारी के प्रकोप और उसके बाद लॉकडाउन लागू करने के परिणामस्वरूप विद्युत् और गैर-विद्युत क्षेत्र द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान मांग में कमी आई, जिससे कोयला से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से कोयला प्रेषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में कोविड महामारी के दीर्घ और लगातार प्रभाव तथा कम कोयले की मांग को ध्यान में रखते हुए, 710 मिलियन टन के लक्ष्य को संशोधित कर 660 मिलियन टन कर दिया गया। 660 एमटी के इस लक्ष्य की तुलना में सीआईएल ने वर्ष 2020-21 के दौरान 596.22 एमटी का उत्पादन किया। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के संबंध में, 67.50 मिलियन टन के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान 50.58 मिलियन टन वास्तविक उत्पादन किया गया था। समिति पाती है कि वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था के रिकवरी मोड में आने के साथ कोयले की मांग में भी वृद्धि हुई। इसके अलावा, अप्रैल-जनवरी, 2022 के दौरान, सीआईएल से कोयले का प्रेषण पिछले वर्ष की इसी अवधि के 463.16 मिलियन टन की तुलना में 542.48 मिलियन टन था, जो वर्ष 2020-21 की समान अवधि में 17% की वृद्धि है और वर्ष 2019-20 की समान

महामारी मुक्त अवधि में 15% की वृद्धि है। अप्रैल-जनवरी, 2022 के दौरान एससीसीएल से प्रेषण 54.17 मिलियन टन था, जोकि पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में में 45% की वृद्धि है और वर्ष 2019-20 की समान महामारी मुक्त अवधि की तुलना में 4.2% की वृद्धि है। समिति कोविड-19 महामारी काल के दौरान कोयला कम्पनियों द्वारा किए गए इन अनुकरणीय प्रयासों की सराहना करती है।

सरकारी क्षेत्र के कोयला/लिग्नाइट उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

14. समिति नोट करती है कि कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी तीन सरकारी क्षेत्र की कंपनियां भारत सरकार से बजटीय सहायता के बिना अपने आंतरिक और केवल अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) से अपनी पूंजी निवेश की योजनाओं को कार्यान्वित करती हैं। कोयले के उत्पादन और बुनियादी ढांचे के संबंधित विकास के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 21420 करोड़ रुपये (सीआईएल-16500 करोड़ रुपये + एनएलसीआईएल- 2920 करोड़ रुपये + एससीसीएल- 2000 करोड़ रुपये) की कैपेक्स राशि प्रस्तावित की गई है। जहां तक वर्ष 2021-22 के दौरान आबंटनों के विरुद्ध पूंजी निवेश योजनाओं के कार्यान्वयन की सीमा का संबंध है, समिति ने पाया कि सभी तीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 19246 करोड़ रुपये के बजट अनुमानों (सीआईएल - 14685 करोड़ रुपये, (बीई और आरई) एनएलसीआईएल - 2061 करोड़ रुपये (बीई और आरई) और एससीसीएल - 2500 करोड़ रुपये (बीई और आरई) के विरुद्ध , जनवरी तक का वास्तविक व्यय, जनवरी 2022 तक 15012.33 करोड़ रुपये (80.08 प्रतिशत) रहा। निधियों का उपयोग क्रमश सीआईएल द्वारा 11538.87 करोड़ रुपए (78.58%), एनएलसीआईएल द्वारा 1941.58 करोड़ रुपए

(9421%) और एससीसीएल द्वारा 153188 करोड़ रुपए (7606%) रुपए हैं।

समिति मंत्रालय की बात को नोट करती है कि सीआईएल और एनएलसीआईएल द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए कैपेक्स लक्ष्य को प्राप्त किए जाने की उम्मीद है, हालांकि, एससीसीएल 150 करोड़ रुपये की सौर परियोजनाओं के रुक जाने, नई परियोजना के ग्राउंडिंग में देरी और कुछ मौजूदा खानों के लिए पुर्जों की खरीद और कुछ परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, आदि के कारण लक्ष्य में कमी हो सकती है । समिति को यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि 2021-22 के दौरान, सीआईएल और एनएलसीआईएल द्वारा कैपेक्स लक्ष्य प्राप्त किए जाने की उम्मीद है। जहां तक एससीसीएल द्वारा सामना की जा रही बाधाओं का संबंध है, समिति को आशा है कि कोयला मंत्रालय और एससीसीएल 2022-23 के दौरान लक्षित कैपेक्स को प्राप्त करने के लिए सभी लंबित मुद्दों को हल करने के लिए प्रयास करेंगे।

<u>सरकारी क्षेत्र के कोयला/लिग्नाइट उपक्रमों का बकाया</u>

15. समिति नोट करती है कि राज्यों और अन्य यूटिलिटि के पास भारी राशि बकाया है और इसके परिणामस्वरूप, 31 जनवरी, 2022 की स्थिति के अनुसार सीआईएल, एससीसीएल और एनएलसीआईएल का बकाया क्रमशः 15097.01 करोड़ रुपये, 5620.35 करोड़ रुपये और 5763.23 करोड़ रुपये हो गया है। मंत्रालय ने समिति को बताया है कि बकाया देय राशियों के परिसमापन के लिए सचिव (कोयला) द्वारा सचिव (विद्युत) और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजे गए हैं। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने विभिन्न विद्युत संयंत्रों/बोर्डों से संबंधित सीपीएसई

विवादों (एएमआरसीडी) के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र के पास पहले ही कई दावे दायर कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त, ईंधन आपूर्त करार में विलंबित भुगतान पर ब्याज लगाने का भी प्रावधान है। मंत्रालय और सरकारी क्षेत्र के कोयला/लिग्नाइट उपक्रमों द्वारा की गई पहल की सराहना करते हुए, समिति चाहती है कि विशेषरूप से विद्युत उत्पादन इकाइयों, सीमेंट और उर्वरक उद्योगों आदि जैसे उपभोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली के लिए इस मामले को और अधिक मजबूती से उठाया जाना चाहिए। समिति को की गई वसूली से अवगत कराया जाए।

<u>कोयले की चोरी</u>

16. समिति नोट करती है कि कोयला मंत्रालय द्वारा जुलाई 2018 में एक मोबाइल ऐप 'खनन प्रहरी' के साथ कोयला खनन निगरानी और प्रबंधन प्रणाली (सीएमएसएमएस) नामक एक वेब-आधारित एप्लिकेशन लॉन्च किया गया। ऐप आवंटी की लीजहोल्ड सीमाओं से परे अवैध खनन संचालन का पता लगाने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करता है। इसके अलावा, इस ऐप के माध्यम से कोई भी नागरिक अनधिकृत खनन गतिविधि / घटना की रिपोर्ट कर सकता है। तत्पश्चात् प्राप्त शिकायत को दिए गए स्थान पर सत्यापित किया जाता है और सीआईएल की सहायक कंपनियों और राज्य सरकारों में नामित नोडल अधिकारियों द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। सीएमपीडीआई में मासिक रिपोर्ट भी तैयार की जाती है और उसे सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजा जाता है। कोयले की चोरी को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा की गई सूचना प्रौद्योगिकी पहलों की सराहना करते हुए, समिति की इच्छा है कि कोयला मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला उपक्रमों को विभिन्न स्थानों पर कोयले की चोरी के मुद्दे को राज्य सरकारों के साथ उच्चतम स्तर पर उठाना

चाहिए और इस संकट को समाप्त करना चाहिए। इस संबंध में समिति यह सुझाव भी देती है कि कोयला मंत्रालय विधायी विभाग की सलाह ले सकता है कि क्या अवैध खनन/चोरी के मामलों को रोकने के लिए कोई उपयुक्त कानून लाया जा सकता है।

कोयला ब्लॉकों का आवंटन

17. समिति नोट करती है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय/निर्देशों के अनुसार, कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत 204 रद्द की गई कोयला खानों की आवंटन प्रक्रिया शुरू की गई थी। 106 कोयला खानों में से 46 कोयला खानों का आबंटन नीलामी के माध्यम से किया गया है जबकि 60 का आबंटन आबंटन के माध्यम से किया गया है। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि दिसंबर, 2021 तक कुल राजस्व 10796.82 करोड़ रुपये है और खान आवंटन के समय से दिसंबर 2021 तक इन कोयला खानों से कुल 176.83 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया गया है। समिति इस उपलब्धि की सराहना करती है और उम्मीद करती है कि नोडल मंत्रालय इस दिशा में अपने ठोस प्रयासों को जारी रखेगा। समिति इस बात से भी प्रसन्न है कि नीलामी और आबंटन के माध्यम से इन कोयला खानों का प्रस्तावित आबंटन हो रहा है और आशा करती है कि एक बार इन कोयला खानों से उत्पादन शुरू हो जाता है तो कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का लक्ष्य हासिल करना आसान होगा जिससे कोयले के आयात के लिए सरकार द्वारा खर्च की जा रही विदेशी मुद्रा की बचत होगी। समिति कोयला मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि आबंटित कोई भी कोयला ब्लॉक अनुत्पादक न रहे और कोयला ब्लॉकों की नीलामी/आबंटन अपेक्षित तरीके से जारी रखा जाए।

18. समिति पाती है कि प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा ईंधन के रूप में कोयला दशकों से देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है और भविष्य में कुछ और दशकों तक इसकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। हालांकि, समिति का मानना है कि बड़े पैमाने पर जीवाश्म संचालित ऊर्जा अर्थव्यवस्था से एक बड़े पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ स्रोतों द्वारा संचालित ऊर्जा में अंतरण के लिए हरित और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देना एक स्वागत योग्य कदम है। समिति सरकार से वांछित कदम उठाने की सिफारिश करती है ताकि कोयला क्षेत्र में निजी और सरकारी क्षेत्रों द्वारा किए गए निवेश पर लाभ संभव हो सके। साथ ही, वह कोकिंग कोल आदि की गुणवत्ता में सुधार के लिए अपने सरकारी उपक्रमों द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए मंत्रालय के प्रयासों को स्वीकार करती है और महसूस करती है कि इस दिशा में आगे बढ़ने से निश्चित रूप से मानवता की सेवा होगी।

शुरुआती संपर्क (फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी)

19. समिति नोट करती है कि निकासी सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए रेल के माध्यम से कोयला की निकासी की योजना दो चरणों में नीय के लिए 44 फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाओं की योजना दो चरणों में बनाई गई है। इनमें से, चरण-I में 35 परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2023-24 तक 4145 एमटीपीए की क्षमता के साथ कार्यान्वित किया जाना है और अन्य 9 परियोजनाएं (पीएच-II के तहत) शुरू की गई हैं जो लगभग 57 एमटीवाई कोयले के प्रेषण को पूरा करेंगी। चरण-I में 35 एफएमसी परियोजनाओं में से, 6 एफएमसी परियोजनाएं शुरू कर दी गई हैं और शेष कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा

2023-24 तक है। कोयला मंत्रालय और रेलवे बोर्ड द्वारा की गई पहलों की सराहना करते हुए समिति को उम्मीद है कि मंत्रालय की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के दोनों चरणों को वांछित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित और पूरा किया जाएगा।

<u>कोयले का आयात</u>

20. समिति यह नोट करके प्रसन्न है कि अक्टूबर, 2020 में विशेष रूप से कोयला आयातकों के लिए एक नई ई-नीलामी विंडो खोलने; सम्मिश्रण के उद्देश्य से कोयले के आयात को घरेलू कोयले से प्रतिस्थापित करना; केंद्रीय और राज्य जेनकोस को अतिरिक्त कोयले का आवंटन; गैर-विनियमित क्षेत्रों आदि को कोयले की अधिक मात्रा का प्रस्ताव, जैसे नए कदमों/पहलों के साथ;आयातित कोयले (कोकिंग और जीसीवी कोयला) की मांग चालू वर्ष (2021-22) के दौरान 50% कम हो गई है और आयातित कोयले की इस कमी को घरेलू कोयले के उत्पादन के माध्यम से पूरा किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड सहित घरेलू कोयला कंपनियों द्वारा उत्पादित और आपूर्ति किए गए कोयले ने देश को ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है। समिति को आगे बताया गया कि अगले वर्ष (2022-23) के दौरान थर्मल पावर स्टेशनों के लिए केवल न्यूनतम आयातित कोयले की आवश्यकता होगी। समिति का मानना है कि इससे न केवल एक ओर विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि घरेलूसरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी अपने उत्पादित कोयले की मात्रा और गुणवत्ता में सुधार करेंगे ताकि इन विद्युत संयंत्रों को आयातित कोयले की आपूर्ति की जा सके। इसलिए, समिति मंत्रालय से सिफारिश करती है कि वह अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोयला उत्पादन करने वाले सरकारी उपक्रमों को कोयले की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रोत्साहित करे और इन विद्युत संयंत्रों को उसकी आपूर्ति करे जो आयातित कोयले पर आधारित हैं।

नई दिल्ली;
<u>21 मार्च, 2022</u>
30 फाल्गुन, 1943 (शक)

राकेश सिंह
सभापति,
कोयला, खान और इस्पात संबंधी
स्थायी समिति

अनुबंध एक

Status of Complaints generated through Khanan Prahari mobile app in different Coal producing States

State	Total Complaint received	Verified/True complaint	Verified/False complaint	Non-verified
Assam	4	3	1	
Assam State	4	3	1	
Chhattisgarh	23		16	7
SECL	10		10	
CH State	13		6	7
Jharkhand	85	28	43	14
BCCL	24	2	22	
CCL	16	14	2	
ECL	30	12	18	
JH State	15		1	14
Madhya Pradesh	40		10	30
NCL	3		3	
SECL	3		3	
MP State	34		4	30
Maharashtra	12		2	10
WCL	2		2	
MH state	10			10
Odisha	6		3	3
MCL	1		1	
OD State	5		2	3
Uttar Pradesh	3		3	
NCL	3		3	
West Bengal	274	46	172	56
BCCL	1		1	
ECL	216	46	170	
WB State	57		1	56
Grand Total	447	77	250	120

अनुबंध दो

REPORT ON VARIOUS IT INITIATIVES upto JANUARY 2022 AS RECEIVED FROM SUBSIDIAIRES

GPS/ GPRS BASED VEHICLE TRACKING SYSTEM WITH GEO-FENCING.				
Subsidiary co.	**Number of vehicles deployed for internal coal transport/Requirement**	**Number of vehicles fitted with GPS & connected with VTS server**	**Functioning status of VTS system**	**Action Status/Remarks**
MCL	2689	2689	2295	De-active GPS devices are being rectified. Requirement of GPS devices is dynamic and keeps changing on monthly basis.
CCL	3150	3150	2825	3150 nos. of devices are installed at all CCL Areas out of which 2825 GPS devices are functioning on real time basis
NCL	475	475	475	The total installed GPS Devices are as per the instant requirement
WCL	1320	1320	1320	The total installed GPS Devices are as per the instant requirement
BCCL	1100	523	475	Out of 1100 devices, 523 are installed & remaining will be installed as and when required. All vehicles engaged in coal transportation from dump to siding are fitted with GPS device.
ECL	1000	1000	1000	The total installed GPS Devices are as per the instant requirement
SECL	1074	1074	1074	The total installed GPS Devices are as per the instant requirement
TOTAL	10808	10231	9464	

Subsidiary co.	Total Requirement of CCTV Cameras deployed at - a. Vulnerable locations viz Weighbridges, Sidings, Workshop, Offices & Stores b. Coal Stocks	Total Number CCTV Cameras installed	Number of Cameras connected NVR/Area Network	Functioning status of total CCTV system	Action Status/Remarks
MCL	2888	945	571	811	For remaining required quantity, tender has been floated. Expected to be awarded within 1 month.
CCL	1964	1592	1004	1384	208 No. of Cameras are in breakdown whose maintenance work is being done at respective Area level. Rest of the Cameras shall be installed by March 2022 (as per project execution in Magadh and Amrapali Projects)
NCL	1357	733	645	582	1) Breakdown cameras that are Beyond Economic Repair (BER) are expected to be replaced by 31/03/2022. 2) The PO/Contract has been awarded for supply installation & commissioning of 624 no. CCTV cameras and it is expected to be executed by 10/04/2022 as per the contract. 3) The existing CCTVs is to be covered in AMC by 15/02/2022.
WCL	687	600	600	593	Breakdown (07 nos.) will be rectified / replaced. CCTV Cameras have been installed in Coal Dumps, Check Posts, Road Weighbridges and in Railway Sidings. 87 nos. of CCTV Cameras for Railway Sidings, Coal Stocks, Railway Weighbridges are under procurement. Timeline- 1) 13 nos.:31/01/22 (SO Placed) 2) 74 Nos.:31/03/22
BCCL	615	615	615	583	CCTV have been installed in Coal dumps, road weighbridges, Area Offices, Regional Stores, Central stores, Central hospital, Area Hospitals & Magazine and railway sidings etc.
ECL	2397	1379	595	1147	1. Scheme for Centralized procurement of 1018 cameras has been approved and tendered on GEM on dt. 13.01.2022 2. 145 cameras installed are beyond repair due to lightening.
SECL	1332	1316	1316	1297	19 Nos. of cameras are under repairing/restoration. 16 cameras got damaged in lightening which is not repairable and to be replaced with new cameras by Area.
TOTAL	11240	7180	5346	6397	

RF-ID BASED BOOM- BARRIER ACCESS CONTROL				
Subsidiary co.	Total Requirement of RFID based boom barriers provided for access control	Number of RFID based Boom Barriers Installed & connected with Area VTS server Including weighbridges	functioning status of Boom Barrier System	Action Status
MCL	145	Nil	Nil	139 nos. Boom Barriers will be retendered by end of this month after incorporating the newly circulated changes in Standard NIT of Civil Department. For the rest 6 Boom barriers, Bhubaneswari Area is procuring at Area Level. Tender is expected to be finalized by march 2022.
CCL	162	112	112	During FY 2021-22, CCL is going to implement VTS & RFID Systems at Magadh & Amrapali and other Projects through which balance 50 Nos. of RFID based Boom Barriers shall be installed.
NCL	49	26	26	Rest 23 boom barriers are under installation and commissioning and expected to be completed by 28.02.2022
WCL	100	92	92	5 nos. Boom Barriers are under shifting/Not in operation due to closure of Mines 3 nos damaged Boom Barriers will be rectified
BCCL	91	58	58	15 sets have been purchased. Out of 15 sets, 7 sets are installed and rest 8 nos. will be installed after availability of sites. Procurement of rest of sets will depend on Procurement of additional road weighbridges.
ECL	206 (103 weighbridges)	172 (89 weighbridges)	172	Work for the remaining 14 weighbridges is under progress
SECL	132	132	131	131 Nos. are currently under operation 13 Nos. of new/additional boom barriers are under supply/installation. 01 no. boom barrier damaged. Under repairing.
TOTAL	885	592	591	

अनुबंध तीन

कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2021-2022) की बुधवार, 23 फरवरी, 2022 को समिति कमरा सं. '2', ब्लॉक-ए, प्रथम तल, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में हुई सातवीं बैठक का कार्यवाही सांराश ।

समिति की बैठक 1130 बजे से 1345 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री राकेश सिंह - सभापति

लोक सभा

2. श्री कुनार हेम्ब्रम
3. श्री सी. लालरोसांगा
4. श्री कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी
5. श्री चुन्नी लाल साहू
6. श्री अरूण साव
7. श्री सुनील कुमार सिंह
8. श्री सुशील कुमार सिंह
9. डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती

राज्य सभा

10. डॉ. विकास महात्मे
11. डॉ. प्रशांत नन्दा
12. श्री दीपक प्रकाश
13. श्री बी.लिंग्याह यादव

सचिवालय

1.	श्रीमती अनीता बी. पांडा	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री अरविन्द शर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

pk/coal&stel/minutes19

साक्षी

कोयला मंत्रालय

1. श्री अनिल कुमार जैन	सचिव
2. श्री विनोद कुमार तिवारी	अपर सचिव
3. श्री मद्दीराला नागराजू	अपर सचिव
4. श्रीमती निरुपमा कोटरु	संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार
5. श्री श्याम भगत नेगी	संयुक्त सचिव
6. श्रीमती विस्मिता तेज	संयुक्त सचिव
7. श्री भबानी प्रसाद पति	संयुक्त सचिव
8. श्री आनिमेष भारती	आर्थिक सलाहकार/आयुक्त, सीएमपीएफओ
9. सुश्री संतोष	उप-महानिदेशक/कोयला नियंत्रक

सरकारी क्षेत्र के कोयला उपक्रम

10. श्री प्रमोद अग्रवाल	चेयरमैन, कोल इंडिया लिमिटेड
11. श्री राकेश कुमार	सीएमडी, एनएलसी इंडिया लिमिटेड
12. श्री एन. श्रीधर	चेयरमैन, सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लिमिटेड
13. श्री ओ. पी. सिंह	सीएमडी, एमसीएल
14. श्री भोला सिंह	सीएमडी, एनसीएल
15. श्री पी. एस. मिश्रा	सीएमडी, एसईसीएल
16. श्री ए. पी. पांडा	सीएमडी, ईसीएल
17. श्री मनोज कुमार	सीएमडी, सीएमपीडीआईएल
18. श्री समीरन दत्ता	सीएमडी, बीसीसीएल
19. श्री पी.एम.प्रसाद	सीएमडी, सीसीएल
20. श्री मनोज कुमार	सीएमडी, डब्ल्यूसीएल

2. सर्वप्रथम, सभापति ने कोयला मंत्रालय के सचिव और अन्य प्रतिनिधियों के साथ-साथ इसके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के प्रतिनिधियों का अनुदानों की मांगों (2022-23) की जांच करने के लिए आयोजित समिति की बैठक में स्वागत किया। सभापति ने कार्यवाही की

गोपनीयता के संबंध में लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 55 की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया।

3. तत्पश्चात, कोयला मंत्रालय के सचिव ने समिति को मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा योजना परिव्यय की तुलना में वास्तविक उपयोग के बारे में जानकारी दी। एक दृश्य प्रस्तुति में, समिति को वर्ष 2021-22 के दौरान कोयला मंत्रालय और इसके सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्धारित और प्राप्त किए गए वित्तीय तथा वास्तविक लक्ष्यों और वर्ष 2022-23 के दौरान कोयला क्षेत्र के विकास के लिए परिकल्पित प्रमुख क्षेत्रों से अवगत कराया गया।

4. समिति ने वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन में कमी, वर्ष 2024 तक ताप विद्युत संयंत्रों के लिए कोयले के आयात की समाप्ति, निधियों का सामान्य रूप से और विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कम उपयोग किए जाने के कारणों, कोयले की चोरी, मौत/गंभीर क्षति दर को कम करने के लिए उठाए गए कदम, नए कोयला ब्लॉकों की नीलामी, खनन हेतु निजी कंपनियों के लिए मंत्रालय से दिशा-निर्देश, कोयले के उत्पादन में वृद्धि, कोयले के आयात में कमी, मोबाइल ऐप 'खनन प्रहरी' और वेब-ऐप ' कोल माइन सर्विलांस एंड मैनेजमेंट सिस्टम' के बारे में विभिन्न कोयला उत्पादक राज्यों की प्रतिक्रिया, झरिया और रानीगंज कोलफील्ड्स के संशोधित मास्टर प्लान की स्थिति और सरकारी क्षेत्र के कोयला/लिग्नाइट उपक्रमों के वास्तविक और वित्तीय निष्पादन आदि जैसे मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा। समिति ने बीसीसीएल के धनबाद और एससीसीएल के श्रीरामपुर क्षेत्र में हुई घातक दुर्घटनाओं की भी जानकारी मांगी।

5. कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर दिए। सभापति ने कोयला मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सदस्यों द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों के लिखित उत्तर देने का निदेश दिया जिनके उत्तर समिति की बैठक के दौरान नहीं दिए गए थे ।

समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।